कुदरती विपदाओं की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के संबंध में आई.ए.एस.सी. के व्यावहारिक दिशानिर्देश

द ब्रूकिंग्स – बर्न प्रोजेक्ट
ऑन इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट

जनवरी २०११

IASC INTER-AGENCY STANDING COMMITTEE
इंटर-एजेंसी स्टेन्डिंग कमिटि

PROOF

IASC INTER-AGENCY STANDING COMMITTEE

आई.ए.एस.सी. - इंटर-एजेंसी स्टेन्डिंग कमिटि

BROOKINGS

UNIVERSITÄT BERN

ब्रूकिंग्स - बर्न युनिवर्सिटि

कुदरती विपदाओं की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के संबंध में आई.ए.एस.सी. के व्यावहारिक दिशानिर्देश*

जनवरी २०११

* इस मार्गदर्शिका आई.ए.एस.सी. (इंटर-एजेंसी स्टेन्डिंग कमिटि) और द ब्रूकिंग्स – बर्न प्रोजेक्ट ऑन इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका हिन्दी अनुवादन ए.आई.डी.एम.आई. द्वारा किया गया है।

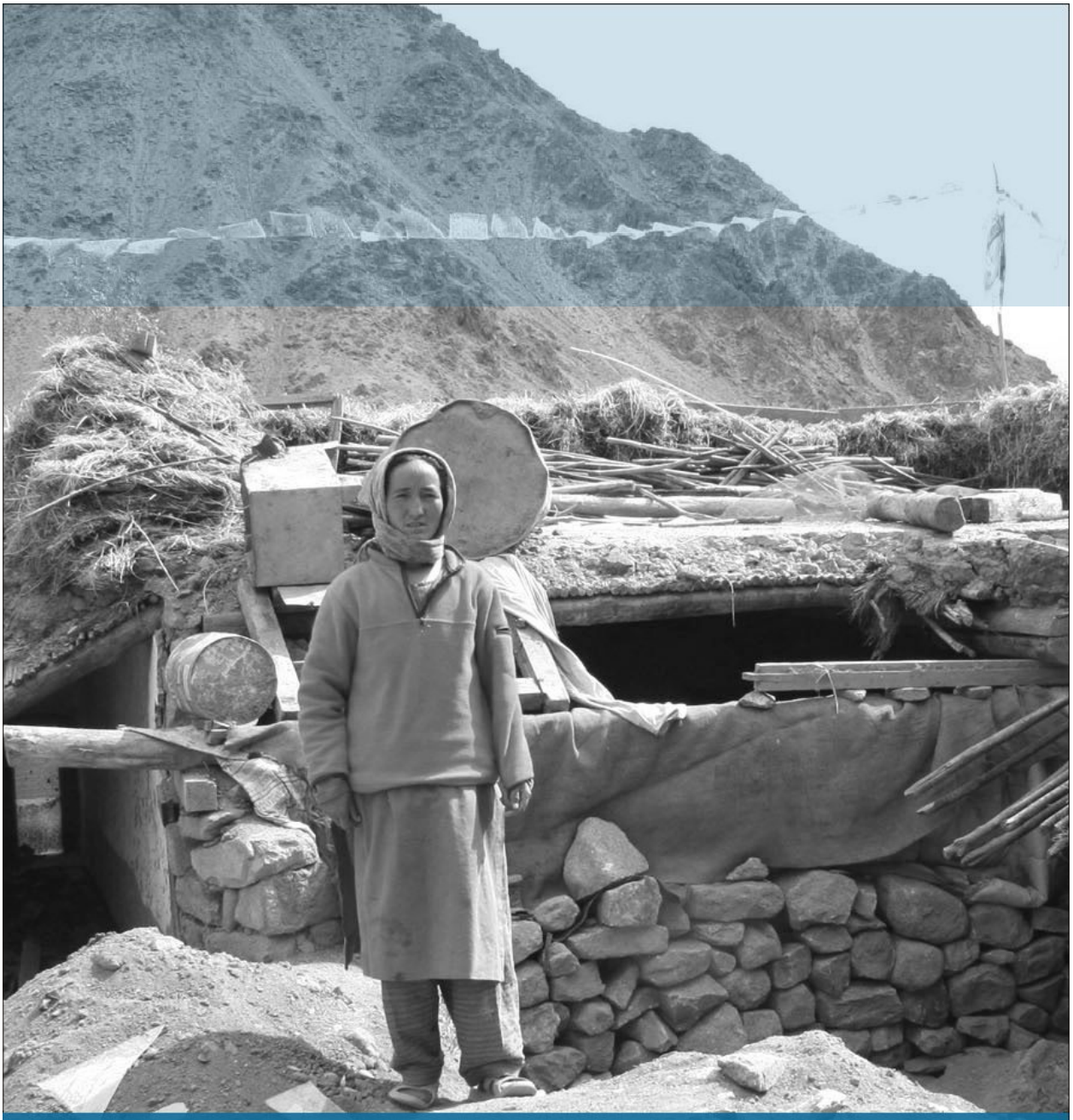

Title: IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters *(in Hindi)*

Translated by All India Disaster Mitigation Institute

411 Sakar Five, Near Natraj Cinema
Ashram Road, Ahmedabad-380 009 India
Tele/Fax: +91-79-2658 2962
E-mail: bestteam@aidmi.org
Website: www.aidmi.org, www.southasiadisasters.net

© The Brookings – Bern Project on Internal Displacement
January 2011

अनुक्रमणिका

आमुख

भाग-१ : प्रस्तावना

१. कुदरती विपदाएँ मानव अधिकारों पर कैसे असर डालती हैं? १
२. कुदरती विपदाओं की स्थिति में लोगों की सुरक्षा करने में मानव अधिकार आधारित कार्य से कैसे सहायता मिलती है? २
३. सुरक्षा क्या है? ४
४. इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों का उद्देश्य और क्षेत्र क्या है? ६

भाग-२ : कुदरती विपदाओं की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के संबंध में आई.ए.एस.सी. के व्यावहारिक दिशानिर्देश

सामान्य सिद्धांत ९

अ समूह-अ : जीवन रक्षा, व्यक्ति की भौतिक संप्रभुता और सुरक्षा तथा पारिवारिक जुड़ाव

अ-१ जीवन रक्षा उपाय, विशेष रूप से बचाव के संबंध में १३
अ-२ परिवारों के बिछुड़ने से सुरक्षा १६
अ-३ कुदरती विपदाओं के गौण प्रभावों से सुरक्षा १७
अ-४ लिंग आधारित हिंसा समेत हिंसा से सुरक्षा १७
अ-५ अतिथि परिवारों और समुदायों का सामूहिक आवासों में सुरक्षा २१
अ-६ पार्थिव शरीर क्रिया विधि २२

ब समूह-ब : भोजन, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित अधिकारों का संरक्षण

ब-१ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच और व्यवस्था - सामान्य सिद्धांत २५
ब-२ पर्याप्त आहार, पानी, सफाई, आवास, कपड़े, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएँ और शिक्षा जैसी विशेष वस्तुओं की व्यवस्था २८

क समूह-क : गृह निर्माण जमीन, सम्पत्ति, आजीविका और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा से संबंधित अधिकारों का संरक्षण

क-१ गृह, जमीन एवं सम्पत्ति और कब्जा ३५
क-२ परिवर्तित आवास, गृह निर्माण और बेदखली ३६
क-३ आजीविका और काम ३७
क-४ माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा ३८

ड **समूह-ड : दस्तावेजीकरण, प्रवृत्ति, परवारों का पुनर्मिलन, अभिव्यक्ति और राय देने तथा चुनावों से संबंधित अधिकारों का संरक्षण**

ड-१ दस्तावेजीकरण.....३९

ड-२ कार्य करने की स्वतंत्रता विशेष रूप से टिकाऊ समाधान के संदर्भ में ४०

ड-३ पारिवारिक फूट को दूर करके उन्हें मिलाना.....४२

ड-४ अभिव्यक्ति, सभा और परिषद तथा धर्म ४५

ड-५ चुनाव का अधिकार.....४५

परिशिष्ट १ : शब्दावली.....४६

परिशिष्ट २ : व्यक्तियों के विशिष्ट समूह का संरक्षण प्रासंगिक दिशानिर्देशों के क्रोस संदर्भ में.....५१

परिशिष्ट ३ : आचार संहिता, दिशानिर्देश और नियमावली का संदर्भ.....५७

आमुख

भूकंप, तूफान या सूनामी के आने पर मानव अधिकार बरकरार रहते हैं। हमने हिंद महासागर में आए सूनामी, हैती में भूकंप तथा बहुत सी अन्य विपदाओं के आने के बाद राहत और पुनरुत्थान कार्यों में मानव अधिकारों का संरक्षण होते हुए देखा है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे प्रभावित लोगों की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाता है। संकट के समय अधिक असुरक्षित स्थितिवाले लोग इससे भेदभाव और दुर्व्यवहार से बचते हैं।

विपदा राहत के प्रति अधिकार आधारित पहुँच को सरल और सुविधाजनक रूप में बनाने के लिए इंटर एजेंसी स्टेंडिंग कमिटी (आई.ए.एस.आई.) ने वर्ष २००६ में मानव अधिकारों और कुदरती विपदाओं से संबंधित व्यावहारिक दिशानिर्देश अपनाए। ये दिशानिर्देश कुदरती विपदाओं की स्थिति में अधिकार आधारित पहुँच बनाने में बढ़ोतरी करने के प्रति महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हैं। इस दिशानिर्देशों के क्षेत्र – जाँच से प्राप्त अभिमत के आधार पर हमने इन दिशानिर्देशों के संशोधित संस्करण में क्षेत्र से ली गई सीख को शामिल किया है। इस संशोधित संस्करण में तैयारी करने के उपायों को शामिल करने के साथ अधिकार आधारित पहुँच को इसमें रखा है। जब कोई विपदा आती है तो उस समय तैयारी का छोटा-सा कदम भी बड़ा प्रभाव डालता है।

यह दस्तावेज कई वर्षों के सहयोगपूर्ण कार्य का परिणाम है। हम विशेष रूप से ए.आई.एस.सी. के उन सदस्यों और भागीदारों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन दिशानिर्देशों को बनाने में सहयोग दिया। साथ ही, उन व्यक्तियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इसे इस रूप में लाने के लिए समय दिया तथा पूरा प्रयास किया। हम ब्रूकिंग्स प्रोजेक्ट ऑन इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट के भी इस प्रक्रिया में सहयोग देने के प्रति आभारी हैं।

ये दिशानिर्देश संक्षिप्त हैं तथा पढ़ने में सरल हैं। आशा है कि ये दिशानिर्देश अंतरराष्ट्रीय और गैर-सरकारी मानवतावादी संगठनों एवं सरकारों को भी विपदा के संबंध में तैयारी करने कार्य करने तथा पुनः प्राप्ति के कार्यों में मानव अधिकारों को अपने आधारभूत ढाँचे में लागू करने के लिए कारगर सिद्ध होंगी।

वेलरी अमोस
अंडर-सेक्रेटरी-जनरल तथा
इमर्जेंसी रिलीफ कोओर्डीनेटर
फॉर ह्यूमेनिटेरियन अफैयर्स

वाल्टर कैलिन
प्रतिनिधि, यू.एन. सेक्रेटर- जनरल
ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंटर्नली
डिस्प्लेस्ड पर्सन्स

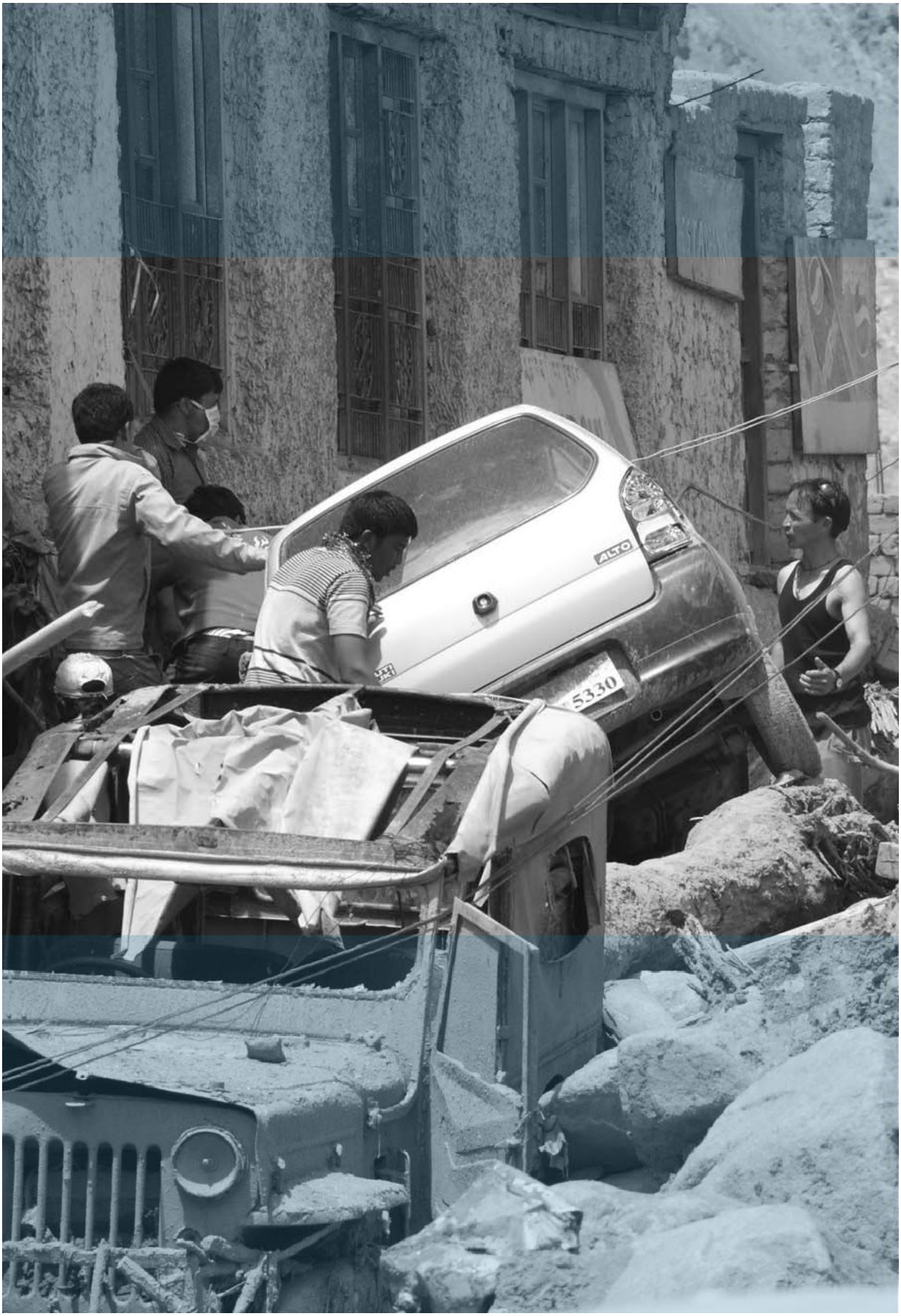
ALTO
5330

भाग-१ : प्रस्तावना

१. कुदरती विपदाएँ मानव अधिकारों पर कैसे असर डालती हैं?

कुदरती विपदाओं[१] को परंपरागत रूप से मानवतावादी सहायता के रूप में मुख्य रूप से चुनौती पैदा करनेवाली स्थिति के रूप में देखा जाता है। इस खास संदर्भ में मानव अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के प्रति कम ही ध्यान दिया गया है। वर्ष २००४ और २००५ में एशिया और अमेरिका के कुछ भागों में आए सूनामी, तूफानों और भूकंपों तथा वर्ष २०१० में हैती के भूकंप से विशेष रूप से यह तथ्य उजागर हुआ है कि कुदरती विपदाओं के गुजर जाने के बाद प्रभावित लोग बहुत सी मानव अधिकार विषयक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं; जैसे –

- सुरक्षा और संरक्षण की कमी (जैसे – निरंकुश अपराध, कुदरती विपदाओं के गौण प्रभाव आदि)।
- लिंग आधारित हिंसा।
- सहायता आधारभूत सामान और सेवाओं के प्रति असमान पहुँच तथा सहायता करने में भेदभाव बरतना।
- बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण।
- परिवार के सदस्यों का बिछुड़ जाना विशेष रूप से बच्चों, बड़े-बूढ़े लोगों, विकलांग एवं अन्य लोगों का बिछुड़ जाना जिनके लिए परिवार की सहायता जरूरी होती है।
- व्यक्तिगत दस्तावेजों का खो जाना। नष्ट हो जाना तथा इन्हें नए बनाए जाने में दिक्कत होना, विशेष रूप से अपर्याप्त जन्म पंजीकरण प्रणाली के कारण।
- कानून लागू करने की अपर्याप्त प्रणाली तथा सही और न्यायपूर्ण न्याय प्रणाली की पहुँच का होना।
- प्रभावी अभिमत और शिकायत प्रणाली की कमी।
- रोजगार और आजीविका के अवसरों की प्राप्ति में असमानता।
- मजबूरन स्थान निर्धारण।
- विपदा से विस्थापित लोगों के पुनर्वास करने पर असुरक्षित या अस्वैच्छिक वापसी, या
- संपत्ति की क्षतिपूर्ति या जमीन तक पहुँच की कमी।

अनुभव से प्रदर्शित होता है कि विपदा के आपातकालीन चरण में भेदभावपूर्ण व्यवहार और मानव अधिकारों की अनदेखी किए जाने से विपदा का प्रभाव भी अधिक समय तक रहता है तथा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने से जोखिम भी अधिक बना रहता है। अनुभव से यह प्रदर्शित हुआ है कि असुरक्षित स्थिति के पहले से होने तथा भेदभावपूर्ण प्रणाली के होने से कुदरती विपदाओं की स्थिति प्रायः और बदतर हो जाती है।

खासकर असरग्रस्त लोगों में जोखिम की स्थिति में वे लोग होते हैं जिन्हें अपने रिहायशी ठिकानों को या घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है तथा परिणाम यह होता है कि वे आंतरिक रूप से विस्थापित लोग[२] हो जाते हैं तथा उनके साथ वर्ष १९९८ के आंतरिक विस्थापनवाले दिशानिर्देश सिद्धांतों का अमल किया जाना चाहिए।

---

१ इस अवधारणा के लिए कृपया देखें परिशिष्ट १, शब्दावली

२ इस विचार के लिए देखे परिशिष्ट १, शब्दावली

प्रायः कुदरती विपदा आने के बाद मानव अधिकार से संबंधित चिंता का नराकात्मक असर उद्देश्यपूर्ण नीतियों से नहीं पड़ता है बल्कि योजनाओं के अपर्याप्त रूप में बनाए जाने तथा विपदा तैयारी के अपर्याप्त रूप में होने और विपदाओं के संबंध में उपाय करने या बिल्कुल अनदेखी करने के कारण नीतियों की कमी से ऐसे परिणाम निकलते हैं।

महासचिव के मतानुसार, कुदरती विपदाओं के साथ जुड़ा हुआ संभावित विपदा का जोखिम असुरक्षित स्थिति के प्रवर्तमान स्तरों के बहुत अधिक रूप में होने और इन्हें रोकने, कम करने तथा तैयारी से संबंधित उपायों के प्रभावी न होने के कारण होता है।[3] यदि संबंधित मानव अधिकार गारंटी का ध्यान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा विपदा के कार्यों, तैयारी, राहत और पुनः प्राप्ति के सभी चरणों में रखा जाए तो ये चुनौतियाँ कम हो सकती है या दूर हो सकती हैं।

२. कुदरती विपदाओं की स्थिति में लोगों की सुरक्षा करने में मानव अधिकार आधारित कार्य से कैसे सहायता मिलती है?

सुरक्षा संबंधित पहलू से मानवीय सहायता कार्यक्रम के प्रति रणनीति से संबंधित आयाम लाया जा सकता है जिसमें से एक मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, तथा उन्हें सुरक्षित रखना है। अनुभवों से पता चलता है कि सहायता सभी को तटस्थ भाव से समान रूप सकारात्मक रूप में सामान्यतः नहीं सुनिश्चित हो सकती है। जिस तरीके से सहायता दी जाती है तथा उसका उपयोग होता है उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यह सहायता लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाती है तथा प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की पूर्ति इससे होती है। मानव अधिकार आधारित पहल करने से मानवीय सहायता कार्यों के आवश्यक मानक तथा आधारभूत ढाँचे को बरकरार रखा जा सकता है। इससे मानवतावादी कार्यों को वैश्विक सिद्धांतों के अनुसार आधार प्राप्त होता है, जैसे कि मानव अस्मिता और अभेद तथा वैश्विक रूप से स्वीकृत मानव अधिकारों की रक्षा। विपदा से प्रभावित लोग इससे व्यक्तिगत रूप में अधिकार प्राप्त करते हैं तथा वे विशेष कार्यकर्ता से अधिकारों की माँग कर सकते हैं तथा वे निष्क्रिय लाभार्थी या खैरात प्राप्त करनेवाले के रूप में नहीं होते हैं।

इसके अतिरिक्त, मानव अधिकार आधारित पहुँच सहायता कार्यों के संरक्षणात्मक मूल्य में वृद्धि कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि सत्ता बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित रूप में महिलाओं और बच्चों को समुचित भोजन और समुचित आवास देती है तो इन लोगों के यौन शोषण, बाल मजदूरी तथा इन पर हिंसा होने के कम अवसर होते हैं अपेक्षाकृत इसके कि इस सहायता से बाहर रखे जाएँ।

यदि मानवतावादी सहायता मानव अधिकार आधारभूत ढाँचे पर आधारित न हो तो इसके बहुत कम रूप में सिमट जाने के आसार होते हैं तथा संपूर्ण योजना निर्माण और नीति प्रक्रिया में पीड़ितों की आधारभूत जरूरतें शामिल नहीं होंगी। बाद में पुनः प्राप्ति के महत्वपूर्ण घटकों की भी अनदेखी की जाएगी। साथ ही, कुदरती विपदाओं से प्रभावित लोग भी कानूनी शून्यावकाश में नहीं रहते। वे ऐसे राष्ट्रों के लोग होते हैं जहाँ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानव अधिकार का दायरा व्याप्त है तथा संविधान, कानून, नियम, निर्देश आदि लागू हैं जिससे उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अतः राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र में अपने सभी नागरिकों और अन्य लोगों के मानव अधिकारों का सम्मान करने, संरक्षण और पूर्ण करने के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदार होते हैं।

इस तरह से, कुदरती विपदाओं में मानवतावादी कार्य करना मानव अधिकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानक होता है। कई देशों में राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन कानून होने तथा विपदा कार्यों के विशिष्ट दृष्टिकोण में विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होने के बावजूद भी

---

३ जनरल सभा में महासचिव की रिपोर्ट, "ऑन इंटरनेशनल कोओपरेश ऑन ह्यूमनटेरियन असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, राहत से विकास तक" ४/६०/२२७

मानव अधिकार कानूनों द्वारा मानवतावादी कार्यों के दिशानिर्देश हेतु व्यापक ठोस अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा उपलब्ध है।[४]

अधिकांश अंतरराष्ट्रीय तथा कई राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधि से प्रयत्क्ष रूप से बाध्य न होते हुए भी यह स्वीकार करते है कि मानव अधिकारों की रक्षा उनके कार्यों में होनी ही चाहिए। प्रभावित लोगों के हित में उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानव अधिकारों की रक्षा उनके कार्यों में आवश्यक रूप से हो रही हैं तथा उन्हें यह कार्य सख्ती से करना चाहिए चाहे राजनीतिक या स्थिति कुछ भी क्यों न हो तथा नीतियों और कार्यों में इन्हें शामिल करके सक्रिय रूप से पालन करना चाहिए तथा राज्यों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन करने में या उन्हें प्रोत्साहित करने से दूर रहना चाहिए।

प्रायः चुनौती खड़ी होती है कि व्यावहारिक संदर्भ में मानव अधिकारों का पालन कैसे कराया जाए तथा कुदरती विपदाओं की स्थिति में अन्य चुनौतियों के खड़े होने पर मानव अधिकारों और मानवतावादी कार्यों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए। व्यावहारिक स्तर पर मानव अधिकार आधारभूत ढाँचा इसमें सहायक होता है :

- *प्रभावित लोगों की प्रासंगिक जरूरतों और हितों की पहचान :*
  उदाहरण : मानव अधिकार कानून आने जाने की स्वतंत्रता तथा अपने निवास स्थान के चुनने की स्वतंत्रता देता है। अतः आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों अपने घरों में वापस लौटने या देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। मानव अधिकार कानून इसके लिए कोई सीख का अधिकार नहीं देता अतः संस्थाओं और प्राधिकरण के ऊपर यह पूरी तरह से निर्भर होता है कि वे प्रभावित लोगों के लिए सूक्ष्म साख कार्यक्रम अपनाएँ या न अपनाएँ।

- *अधिकारकर्ता और कर्तव्यपालन कर्ता की पहचान :*
  उदाहरण : (१) बाल अधिकार समझौते के अनुसार बच्चे उनके उत्कृष्ट हित में सर्वोच्च रूप में विचार किए जाने के पात्र हैं अतः वे अधिकार कर्ता हैं। (२) कई मानव अधिकार समझौतों के अनुसार राज्य को मुख्य कर्तव्यपालन कर्ता के रूप में शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में पुलिस सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

- *लोग क्या चाहते हैं, इसकी सीमाओं की पहचान :*
  उदाहरण : घूमने-फिरने की स्वतंत्रता के संपूर्ण अधिकार न होने के कारण कुछ अपवादस्वरूप प्राकृतिक विपदा के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में लागू कानून की शाखा के रूप में कुदरती विपदा कानून लागू नहीं होते बशर्ते कि सशस्त्र संघर्ष में एक दल के नियंत्रण में नागरिक इस संघर्ष से प्रभावित न हों। इस अपवादस्वरूप स्थिति का समाधान व्यावहारिक दिशानिर्देशों में नहीं दिया गया है। मामलों में स्थान से निकाले जाने के लिए वाध्यता या दूसरे स्थान के निर्धारण की अनुमति है। (देखें नीचे दिशानिर्देश अ-१.४ और ड-२.४)

- *मानवतावादी कार्यों में मानव अधिकार मानक सुनिश्चित करना :*
  उदाहरण : मानव अधिकार मानक के अनुसार भोजन आवास या स्वास्थ्य सेवाएँ विशेष जरूरतवाले लोगों की आसानी से पहुँच के अंदर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मानवतावादी कार्य के प्रबंधन में महिला प्रमुख परिवारों, बुजुर्ग लोगों, विकलांग लोगों या विशिष्ट असुरक्षित स्थितिवाले अन्य लोगों की खास समस्याओं के निराकरण इसमें शामिल हो।

---

४ प्राकृतिक विपदा के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में लागू कानून की शाखा के रूप में कुदरती विपदा कानून लागू नहीं होते बशर्ते कि सशस्त्र संघर्ष में एक दल के नियंत्रण में नागरिक इस संघर्ष से प्रभावित न हों। इस अपवाद स्वरूप स्थिति का समाधान व्यावहारिक दिशानिर्देशों में नहीं दिया गया हैं।

३. सुरक्षा क्या है?

परिभाषा

इंटर एजेंसी स्थायी समिति (आई.ए.एस.सी.) के अनुसार सुरक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :

> *"कानूनी रूप में व्यक्ति के अधिकारों का पूरा सम्मान करते हुए सभी कार्य करना। (यथा एच.आर. कानून, शरणार्थी कानून)"*[५]

ऐसे कार्य अनुक्रियाशील हो सकते हैं; यथा – चालू हिंसा को रोकने या आगे न होने देने, उपचारात्मक; यथा – पहले हुई हिंसा का समाधान प्रस्तुत करने (यथा – न्याय तक पहुँच, क्षतिपूर्ति या पुनर्वास), या माहौल बनाने, यथा – आवश्यक कानूनी और संस्थागत कार्य, क्षमता और चेतना फैलाना जोकि मानव अधिकार के प्रति आदरभाव बनाए तथा भावी उल्लंघन को रोके।"[६]

सुरक्षा कार्यकर्ता और उनके दायित्व

सुरक्षा की इस परिभाषा को उस चौगुने दायित्व के संदर्भ में देखना चाहिए जिस अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को मानव अधिकार के संदर्भ में राज्यों पर लागू किया जाता है; जैसे सक्रिय रूप से उनका उल्लंघन करने से बचना, ऐसे अधिकारों की रक्षा; जैसे दूसरों से जोखिम के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति की ओर से हस्तक्षेप करना तथा सुरक्षात्मक कदम उठाना या ऐसी स्थिति से बचाना, उन्हें आपूर्ति देना जैसे लोगों को उनके अधिकारों को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उन्हें जरूरी वस्तुएँ और सेवा देना तथा इन दायित्वों का पालन बिना भेदभाव के करना।

सांसारिक दृष्टिकोण में इन कर्तव्यों का अर्थ यह है कि राज्य का विशेष रूप से कर्तव्य है : (अ) मानव अधिकारों के उल्लंघन होने या पुनः उल्लंघन होने को रोकना (ब) उन उल्लंघनों को होने से रोकने में यह सुनिश्चित करना कि राज्य के अंग और प्राधिकरण संबंधित अधिकारों का सम्मान करते हैं तथा तृतीय पार्टी से मिलनेवाली धमकी से पीड़ित की सुरक्षा करना या कुदरती विपदा समेत स्थिति से उन्हें बचाना तथा (क) एक बार उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति तथा पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करना जहाँ सत्ता अपनी जवाबदारी को पूरा करने की क्षमता और/या करने की इच्छा में अपर्याप्त रूप में सिद्ध होती है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय राज्य के प्रयासों में सहायक एवं परिपूरक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई कुदरती विपदाओं की जटिलता का दायरा इन संगठनों के सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु यू.एन. प्रणाली के अंदर और बाहर होता है जिसके लिए विशेष विशेषज्ञता और संसाधन जरूरी होते हैं।

मानवतावादी और विकास कार्यकर्ता मानव अधिकार गारंटियों विशेष रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति वचनबद्ध होते हैं तथा उनकी इस वचनबद्धता में कोई नुकसान न पहुँचाने का सिद्धांत कार्यरत होता है।[७] खाद्यान्न, पानी और सफाई, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा शिक्षा सहित मानवतावादी सहायता देकर वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। फिर भी, प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों के उपयोग करने में अपने योगदान देते समय मानवतावादी वस्तुओं का वितरण करना तथा मानवतावादी सेवाएँ प्रदान करना ऐसे सुरक्षा कार्य नहीं हैं। इनका उपयोग अब इस रूप में होता है मानो इनका उद्देश्य ऐसे अधिकारों के भावी उल्लंघनों को रोकने, चालू उल्लंघनों को बंद करने तथा भविष्य में न होने देने का है।

---

५ आई.ए.एस.सी. सुरक्षा नीति, १९९९, रैड क्रोस की सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रिय समिति की १९९९ की एक कार्यशाला में इस परिभाषा को मूल रूप से स्वीकार किया गया था।

६ आई.ए.एस.सी. आई.डी.पी. सुरक्षा नीति, १९९९, ग्लोबल प्रोटेक्शन क्लस्टर वर्किंग ग्रुप, हैंडबुक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, मार्च, २०१०, पृष्ठ-७

७ इस धारणा के लिए देखें परिशिष्ट-१, शब्दावली

इस तरह से, मानवतावादी कार्य के संदर्भ में सुरक्षा की संकल्पना को मानवतावादी भूमिका के रूप में समझा जा सकता है तथा (पुनः प्राप्ति के संदर्भ में) विकास कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के तहत प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित हो तथा इनमें कोई भी भेदभाव न हो।

व्यवहार में सुरक्षा

सुरक्षा मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के संबंध में हैं। इस धारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अनुभव से यह सिद्ध होता है कि मुख्य सुरक्षात्मक चुनौतियाँ विशिष्ट स्थितियों में पैदा होती हैं जिनमें लोगों को नुकसान पहुँचता है या उनकी अवहेलना की जाती है तथा जहाँ उपलब्ध मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं के प्रति पहुँच में कटौती की जाती है तथा जहाँ लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है या उनका उल्लंघन किया जाता है तथा उनके अधिकारों के प्राप्त होने की संभावना नहीं दिखाई देती या उनके अधिकारों की प्राप्ति से उन्हें वंचित होने को बाध्य किया जाता है तथा जहाँ वे भेदभाव का शिकार होते हैं। व्यावहारिक उद्देश्य हेतु सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :

१. **नुकसान :** मानव अधिकार गारंटी के उल्लंघन में लोगों की अवहेलना करना या उन्हें नुकसान पहुँचाने (भूतकाल, वर्तमान या भविष्य में) के कार्य करना।
२. **पहुँच की कमी :** ऐसे कार्य करना जिनसे समुचित खाद्यान्न, पानी और सफाई, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा आदि जैसे मानव अधिकारों से संरक्षित वस्तुओं और सेवाओं तक लोगों की पहुँच हो तथा इन तक पहुँच बनाने में आनेवाले अवरोधों या बाधाओं को हटाना।
३. **किसी के अधिकार के बीच आनेवाले अवरोध और असामर्थ्य :** यह सुनिश्चित करने हेतु कार्य करना कि लोग अपने अधिकारों का उपयोग स्वयं कर सकें तथा उल्लंघन की स्थिति में उन्हें अपने अधिकार के प्रति सचेत रहकर प्रभावित करना और विशेष रूप में निम्नलिखित स्थिति में उनकी क्षमताओं का मज़बूतीकरण करना।
   (अ) लोगों के अधिकारों और प्रभावित लोगों से संबंधित निर्णयों में भागीदारी, परामर्शन और सूचना का अभाव।
   (ब) दस्तावेजीकरण का अभाव।
   (क) अदालत तक पहुँच बनाने तथा अपने अधिकारों के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति समेत उल्लंघनों के खिलाफ प्रभावी उपायों का अभाव।
४. **भेदभाव :** यह सुनिश्चित करने हेतु कार्य करना कि लोग नुकसान उठाने के लिए विवश न हों, उन्हें पहुँच न बनाने दी जाए; अपने अधिकारों की प्राप्ति की असमर्थता या उनके जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य अभिमत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, विकलांगता, जन्म, उम्र या अन्य दर्जे जैसे – भेदभाव पूर्ण स्थिति के आधार पर अन्यथा उनका नुकसान होना।

ऐसे सुरक्षात्मक कार्यों को समुचित रूप से शामिल करने में वास्तविक स्थितियों, अवसरों और दिक्कतों की व्यापक रूप में भूमिका होती है। फिर भी, निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपकरण इसमें शामिल हैं :

१. स्थिति की निगरानी तथा संबंधित प्रासंगिक सुरक्षात्मक मुद्दों की पहचान; जरूरतों के आधार पर सुरक्षा के कार्यों को प्राथमिकता।
२. संबंधित प्रासंगिक अधिकारियों के साथ पहल (गोपनीय या सार्वजनिक रूप से)।
३. संबंधित प्रासंगिक अधिकारियों, प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता का निर्माण और
४. प्रभावित लोगों को सीधे सुरक्षा प्रदान करना, जैसे – जो लोग अपने विपदा प्रभावित क्षेत्रों से बचकर निकलना चाहते हों उनके लिए परिवहन व्यवस्था; लिंग आधारित हिंसा की घटनाओं में कमी लाने के लिए शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में पानी के स्थानों और सफाई क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था; मानव अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित लोगों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था।

४. इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों का उद्देश्य और क्षेत्र क्या है?

उद्देश्य

इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवतावादी संगठनों तथा इंटर एजेंसी स्थायी समिति के सदस्यों की सहायता के लिए यह सुनिश्चित करना है कि विपदा राहत और पुनः प्राप्ति के कार्य एक ऐसे आधारभूत ढाँचे के अंदर किए जाएँ जिससे प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। ये विशेष रूप से निम्नानुसार हैं :

- यह सुनिश्चित करना कि मानव अधिकार सिद्धांत और सुरक्षा मानक – भेदभाव रहित मूलभूत सिद्धांत सहित विपदा अनुक्रिया तथा सभी पुनः प्राप्ति के कार्यों में शुरुआत से लेकर आगे सभी चरणों पर यथा संभव रूप में शामिल हो।
- यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रासंगिक उपायों की पहचान करना जिनसे लोग प्रभावित हों तथा उनके समुदायों की पूरी तरह से राय ली जाए और वे अपने मानव अधिकारों के अनुसार विपदा कार्यों के सभी चरणों में यथा संभव पूरी तरह से सक्रिय प्रतिभागिता कर सकें।
- कुदरती विपदा की स्थिति में मानवतावादी मानकों से संबंधित प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के परिपूरक रूप में (उनके स्थान पर नहीं)।
- मानव अधिकार कानून के अंतर्गत प्रभावित लोगों की ओर से सरकार के साथ उसके दायित्व के संबंध में संवादिता करने के लिए मानवतावादी कार्यकर्ता के लिए आधार उपलब्ध कराना।

ये व्यावहारिक दिशानिर्देश उन सरकारी कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से विपदा प्रबंधन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं जो कि प्रभावित लोगों को सुरक्षा और मानवतावादी सहायता मुहैय्या कराने के लिए मुख्य रूप से जवाबदार होते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें राष्ट्रीय कानून और नीतियों से भी वाकिफ कराया जा सकता है।

ये व्यावहारिक दिशानिर्देश कुदरती विपदाओं से प्रभावित देशों में नागरिक समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

क्षेत्र

इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों में कुदरती विपदाओं की स्थिति में कार्य और पुनः प्राप्ति के कार्य आते है। पूर्व तैयारी और जोखिम कम करने के कार्य इनमें शामिल नहीं हैं अतः पूर्व तैयारी से संबंधित संभावित उपायों को संदर्भ के रूप में जहाँ आवश्यक हो, जोड़ा जा सकता है। साथ ही, इन दिशानिर्देशों का उपयोग विपदा पूर्व तैयारी की नीतियों और रणनीतियों विषयक मुद्दों को समाहित करके राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विपदा प्रबंधन और मानव अधिकार के कार्यों से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण कार्य और क्षमता निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर कानूनी और संस्थागत आधारभूत ढाँचे तथा आनुषंगिक योजनाओं में सुधार करके किया जा सकता है। ये व्यावहारिक दिशानिर्देश मुख्य सिद्धांतों के रूप में होंगे जिनसे कुदरती विपदाओं में मानवतावादी कार्य के दिशानिर्देश होंगे तथा ये संभावित कार्यों के साथ किए जाएँगे जो कि इस संबंध में ठोस और वास्तविक जीवन के उदाहरण होंगे कि दिए गए संदर्भ में इन मुख्य सिद्धांतों को कैसे अमल में लाया जाए। संकेतिक कार्य विस्तृत तथा व्यापक है अतः इनके संबंध में अधिक मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं लगती क्योंकि संबंधित संदर्भ परिशिष्ट-३ में दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में शामिल कार्य निम्नानुसार हैं :

- नुकसान होने से रोकना या होने देना।
- यह सुनिश्चित करना कि लोगों की पहुँच संबंधित वस्तुओं, सेवाओं और अवसरों के प्रति हो।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते है, या
- भेदभाव को दूर करना या बचना।

ये व्यावहारिक दिशानिर्देश संबंधित मानव अधिकार कानून के आधार पर प्रवर्तमान मानकों और नीतियों के अनुसार तैयार किए हैं जो कि कुदरती विपदा की स्थिति में मानवतावादी मानकों से संबंधित मानव अधिकार दिशानिर्देश एवं मानवतावादी कार्यों के अनुरूप है।[८]

फिर भी, इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों में व्यक्तियों के मानव अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय कानून की भाँति प्रतिष्ठापित रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यद्यपि यह ध्यान रखा गया है कि कुदरती विपदा के संदर्भ में मानवतावादी कार्य के प्रति पहुँच आधारित अधिकारों के अनुपालन करने में मानवतावादी कार्यकर्ता व्यावहारिक मानकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।[९] इन दिशानिर्देशों को कुदरती विपदाओं के तीव्र व्यापक परिणामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है तथा उनमें से अधिकांश विपदा के संबंध में या अन्य प्रकार की विपदाओं जैसे – विपदाओं के क्रमिक प्रभावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

ढाँचा

इन दिशानिर्देशों में सबसे पहले कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। व्यावहारिक कारणों से प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मुख्य प्रासंगिक सिद्धांतों के प्रस्तुतीकरण को निम्नलिखित रूप में चार अध्यायों में बाँटा गया है :

१. जीवन रक्षा से संबंधित अधिकारों की रक्षा; भौतिक संप्रभुता की सुरक्षा तथा स्थान से निकालने के संदर्भ में पारिवारिक जुड़ाव की रक्षा। ये गारंटियाँ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में शामिल हैं[१०] तथा विशेष रूप से विपदा आने पर तथा विपदा आने के बाद भी प्रासंगिक हैं। उनमें से कुछ विशेष रूप से सुरक्षा और भौतिक संप्रभुता का अधिकार समग्र विपदा कार्यों में महत्वपूर्ण होता है; जैसे – लिंग आधारित हिंसा के संदर्भ में।

२. खाद्यान्न, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित अधिकारों की रक्षा इन सामाजिक अधिकारों[११] से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि विपदा से बचे हुए लोगों को जीवन रक्षक मानवतावादी सहायता, विशेष रूप से आपातकालीन चरण में तथा इससे आगे आवश्यकतानुसार आगे के चरणों में प्राप्त हो।

२. अधिकारों से संबंधित गृह निर्माण, भूमि और संपत्ति तथा आजीविका की सुरक्षा। ये अधिकार हैं – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार जो कि विशेष रूप से आपातकालीन चरण के पूरा होने तथा पुनः प्राप्ति के कार्य किए जाने पर प्रासंगिक होते हैं, तथा

३. दस्तावेजीकरण से संबंधित अधिकार आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए ठोस पुनः प्राप्ति के संदर्भ में मुक्त रूप में घूमने-फिरने की स्वतंत्रता; पारिवारिक बंधनों का पुनर्स्थापन, अभिव्यक्ति और अभिमत, तथा निर्वाचन के अधिकार की रक्षा। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार पुनः प्राप्ति के चरण के लंबे समय तक चलने की स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

---

८ ये दिशानिर्देश वैश्विक मानव अधिकारों के तत्वों तथा संबंधित क्षेत्रीय मानव अधिकार समझौतो तथा अन्य मानकों; जैसे आंतरिक विस्थापन विषयक दिशानिर्देशक सिद्धांतों, स्फियर प्रोजेक्ट के मानवतावादी चार्टर, विपदा कार्यों के न्यूनतम मानक (द स्फियर हैंडबुक) और आई.एफ.आर.सी. आचार संहिता पर आधारित हैं। इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों को इन मानकों और नीतियों के अनुपालन के रूप में लिया जाना चाहिए तथा इन्हें इस रूप में ही समझना चाहिए।

९ हालही में, यू.एन. का अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग कुदरती विपदा राहत के संदर्भ में अतिरिक्त राज्य के उत्तरदायित्वों के अनुपालन में मानकों के निर्माण की प्रक्रिया में है जो कि मार्गदर्शन हेतु मानवतावादी संस्थाओं की तात्कालिक जरूरत के समानांतर है।

१० अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अधिकार १९६६ के राजनीतिक और नागरिक अधिकार विषयक अंतरराष्ट्रीय संमेलन में मुख्य रूप से शुरु किए गए हैं।

११ ये मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों विषयक १९६६ के अंतरराष्ट्रीय संमेलन में शुरु किए गए हैं।

इस तरह से, प्रयोक्ता तात्कालिक आपातकालीन चरण में अ और ब श्रेणियों से परामर्शन प्राप्त करने तक सीमित हो सकता है तथा आगे के चरण में से और इ की ओर मुड़ सकता है। फिर भी, इन अध्यायों में उल्लिखित सभी अधिकारों का पूर्ण सम्मान करते हुए ही कुदरती विपदाओं से प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की समुचित रूप में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सभी मानव अधिकार वैश्विक, अभेद्य, परस्परालंबित, तथा परस्पर संबंधित है।[१२] इन दिशानिर्देशों के ढाँचे में कहीं भी किसी भी तरह के संबंधित अधिकार के वंशानुक्रम का कोई भी सुझाव शामिल नहीं है बल्कि यह इस बात का पता लगाने में तुरंत सहायक हैं कि विपदा के दिए गए चरण में मुख्य रूप से कया करना प्रासंगिक है।

१२ वियेना में मानव अधिकार विषयक विश्व संमेलन, वियेना घोषणा तथा कार्य विषयक कार्यक्रम यू.एन.डोक्यू. ए/कॉन्फरन्स.१५७/२३, १२ जुलाई, १९९३

भाग-२ : कुदरती विपदाओं की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के संबंध में आई.ए.एस.सी. के व्यावहारिक दिशानिर्देश

सामान्य सिद्धांत

(अ) कुदरती विपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए सामान्य गारंटी

१. कुदरती विपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों (प्रभावित लोगों) की पहचान की जानी चाहिए तथा उनके देश में अन्य लोगों की तरह अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के तहत समान अधिकारों और स्वतंत्रता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों के रूप में व्यवहार किया जाए तथा उनकी जाति, रंग, लिंग, विकलांगता, भाषा, धर्म, राजनीतिक एवं अन्य विचारों, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, आयु, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर उनके प्रति भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों तथा प्रभावित लोगों समेत विशेष श्रेणियों की विशिष्ट सहायता हो। सुरक्षा विषयक जरूरतों को पूरा करने के लक्षित उपायों के साथ इसे मात्र, बुजुर्ग लोगों, विकलांग लोगों, एच.आई.वी./एड्सवाले लोगों, सकल परिवारों, बाल प्रधान घरों, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों या गैर यहूदी लोगों या आर्थिक समुदायों या देशी लोगों तक ही सीमित न किया जाए। उनकी जरूरतें भले ही अलग-अलग हो, पर उनके प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाए।

२. कुदरती विपदा से प्रभावित लोगों या प्रभावित रूप में तात्कालिक जोखिम का सामना करनेवाले लोगों को उनके द्वारा समझी जा सकनेवाली भाषा में आसानी से समझी जा सकनेवाली पहुँचगत सूचनाओं को दिया जाना चाहिए :
   - ❖ वे जिस विपदा का सामना कर रहे है उसकी प्रकृति और स्तर।
   - ❖ संभावित विपदा जोखिम और किए जा सकनेवाले असुरक्षित स्थिति में कमी लाने के उपाय।
   - ❖ चालू या आयोजित मानवतावादी सहायता पुनः प्राप्ति के कार्य तथा उनकी संबंधित पात्रता; और
   - ❖ अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू कानून के तहत उनके अधिकार।

३. प्रभावित लोगों को उनकी ओर से उठाए गए कदमों के संबंध में सूचना देनी चाहिए तथा उनकी राय ली जानी चाहिए तथा यथा संभव शीघ्र रूप में अधिकांश रूप में उनके अपने मामलों को संभालने के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें विपदा कार्यों के विभिन्न स्तरों के आयोजन और अमलीकरण में भाग लेना चाहिए। लक्षित उपाय उन लोगों को शामिल करने के लिए किए जाने चाहिए जो कि निर्णय लेने में भागीदारी करने से परंपरागत रूप में हाँशिए पर हैं।

४. प्रभावित लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग करने, दावा प्रस्तुत करने की पात्रता होनी चाहिए तथा उल्लंघन के मामले में न्याय प्रणाली के प्रति निर्बाध पहुँच के साथ प्रभावी उपाय होने चाहिए।

५. बच्चों से संबंधित सभी निर्णयों और कार्यों में बच्चों के सर्वाधिक उत्कृष्ट हित में मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए।

६. जिन लोगों को अपने घरों या निवासस्थानों को छोड़कर जाने के आदेश दिए गए हों या छोड़कर भागने को विवश हों या कुदरती विपदा या इसके प्रभावों के परिणामस्वरूप उनके स्थान खाली कराए गए हों या उन्हें इस स्थिति से बचाने के लिए आदेश देकर उनके स्थान से चले जाने के लिए बाध्य किया गया हो, तथा उन्होंने राज्य के अंतरराष्ट्रीय रूप

में मान्य वॉर्ड को पार न किया हो तो वे आंतरिक विस्थापन के वर्ष १९९८ के दिशानिर्देशक सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं तथा तद्नुसार उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।

७. प्रभावित लोगों के मानव अधिकार तथा इन अधिकारों पर मानवतावादी कार्यों के प्रभाव की नियमित रूप से देखभाल की जानी चाहिए। इसके लिए प्रवर्तमान देखभाल प्रणाली को मज़बूत बनाया जाना चाहिए या नई प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। देखभाल करनेवाले लोगों को उन स्थानों पर पहुँचने दिया जाना चाहिए जहाँ सभा प्रभावित लोगों के लिए मानवतावादी कार्य किए जा रहे हों।

८. प्रभावित लोगों की पहचान की गई जरूरतों के आधार पर सुरक्षा कार्य किए जाएँ तथा उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इस तरह की जरूरतों की पहचान की जाए तथा इन्हें गैर–भेदभावपूर्ण और वस्तुनिष्ठ ढंग से तथा प्रभावित लोगों की राय लेकर आकलित किया जाना चाहिए। एकत्रित किए गए आँकड़ों उम्र और लिंग के अनुसार असंकलित किया जाना चाहिए।

९. सुरक्षा से संबंधित कार्य इस तरह से किए जाएँ ताकि विपदा से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की प्रवर्तमान सांस्कृतिक संवेदनशीलता का आदर हो सके बशर्ते कि इससे प्रवर्तमान अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों से विरोधाभाष उपस्थित न हो।

(ब) मानवतावादी कार्यों में योगदान देने में राज्यों और अन्य अभिकर्ताओं की भूमिका

१. कुदरती विपदा से प्रभावित लोगों को सहायता देने और उनकी सुरक्षा करने का मुख्य कर्तव्य और जवाबदारी राज्यों की है। इस जवाबदारी के पालन करने में उन्हें प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों का सम्मान करना होता है तथा निजी अभिकर्ताओं (जैसे – व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपराध करने) और विपदा से पैदा होनेवाले खतरों (जैसे – कुदरती विपदाओं के गौण प्रभाव) से उन्हें सुरक्षा देनी होती है।

२. अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन और संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठन मानवतावादी कार्यों में निम्नानुसार रूप में कार्य करते हैं :

- ❖ कुदरती विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए अपनी सेवाएँ देकर तथा सुरक्षा और मानवतावादी सहायता देकर और यह सब उस स्थिति में जब संबंधित सत्ता आवश्यक मानवतावादी सहायता देने में असमर्थ हो या अनिच्छुक हो।
- ❖ यह स्वीकार करना कि मानव अधिकार मानवतावादी कार्यों की नींव स्वरूप हैं। अतः कुदरती विपदाओं की स्थिति में उन्हें हर समय विपदाओं से प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों का आदर करना चाहिए तथा उनके पूर्ण रूप में पालन करते हुए प्रभावित लोगों की सुरक्षा और पहल करनी चाहिए। ऐसे संगठनों को किसी भी तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव अधिकारों का उल्लंघन करने या उनका दुरुपयोग करने संबंधित नीतियों या कार्यों में नहीं जुड़ना चाहिए या उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
- ❖ उन्हें इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों से निर्देशित रूप में अपने कार्य विशेष रूप से उस समय करने चाहिए जब प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति और जरूरतों की देखभाल और आकलन कार्य किाय जा रहा हो तथा जब उसके संबंध में योजना बनाने, कार्यक्रम और अमलीकरण के कार्य उनके कार्यों में शामिल किए जा रहे हों तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रभावित लोगों के लिए तथा अपने कार्यों में शामिल करने के लिए राज्य के कर्तव्य और जवाबदारियों के संबंध में सरकार के साथ संवादिता करने जा रहे हों।
- ❖ मानवता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांत के अनुसार अपने कार्यों को करना और प्रभावित लोगों सहित सभी संबंधित अधिकारियों की यह जवाबदारी है।

३. सभी संबंधित मानवतावादी कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बीच उनके सुरक्षा विषयक कार्यों का संयोजन करते समय राष्ट्रीय और स्थानीय जनादेश का ध्यान रखना चाहिए। प्रभावित लोगों समेत सभी संबंधित अधिकारियों के प्रति यह उत्तरदायित्व है।

४. मानवतावादी सहायता का उपयोग मानवतावादी कार्यों के सिवाय अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए; जैसे राजनीतिक लक्ष्यपूर्ति के लिए या जो लोग जरूरतमंद नहीं हैं, उन्हें वस्तुएँ देना।

समूह-अ :
जीवन की रक्षा, व्यक्ति की भौतिक संप्रभुता और सुरक्षा तथा पारिवारिक जुड़ाव

अ.१ जीवन रक्षा के उपाय, विशेष रूप से बचाव के संबंध में

अ.१.१ कुदरती विपदाओं से तात्कालिक जोखिमग्रस्त व्यक्तियों का जीवन, भौतिक संप्रभुता तथा स्वास्थ्य तथा विशेष जरूरतमंद लोगों की यथासंभव अधिकाधिक रूप में रक्षा की जानी चाहिए भले ही वे व्यक्ति कहीं भी क्यों न हों।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- प्रभावित लोगों को उनके द्वारा समझी जा सकनेवाली भाषा में संभावित जोखिमों, बचकर निकलने के मार्गों तथा उनके आसपास के आपातकालीन आश्रय ठिकानों जैसी सुविधाओं और बरती जानेवाली एहतिहातो के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए; और
- खास जरूरतमंद लोगों के संबंध में विशेष निवारक सुरक्षा के उपाय करने और चेतावनी प्रणाली चालू करनी चाहिए।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- समुदाय/गाँव आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन योजना; जोखिमों की प्रकृति के संबंध में सामुदायिक चेतना फैलाने के कार्यक्रम तथा अपनी रक्षा कैसे करें;
- शैक्षणिक पाठ्यवस्तु में विपदा की चेतना को शामिल करना;
- सभी मानवतावादी कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण;
- विपदा तैयारी और प्रभाव कम करने के उपायों का अमलीकरण, जैसे
- बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नदी के तटबंधों का अनुरक्षण कार्य; प्रतिभागितापूर्ण सामुदायिक जोखिम संभावित असुरक्षित स्थिति का आकलन; तथा
- बचाव मार्गों के साथ नक्शे तथा अन्य आनेवाले खतरों से चेताने के लिए सीटी बजाने जैसे सामान की समुदायों को संरक्षणात्मक उपायों के रूप में आपूर्ति।

अ.१.२ यदि ये उपाय उन्हें सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त न हों तो खतरेवाले क्षेत्र से खतरे से संभावितवाले लोगों को अन्य सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान कराना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- सुरक्षात्मक आश्रय आवासों की व्यवस्था करना तथा लोगों को उनमें जाने के लिए निवेदन करना;
- लोगों द्वारा समझी जा सकनेवाली भाषा में बचाव मार्गों के बारे में सूचना देना जिससे वे वहाँ से होकर आसानी से बचकर निकल सकें; तथा
- खास जरूरतमंद लोगों को सहायता देना जिससे वे वहाँ से निकल सकें।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- स्थानीय स्तर पर विपदा प्रबंधन समितियों का सर्जन करना;

- ❖ सूनामी या यकायक बाढ़ के आने जैसे विशेष रूप से उच्च जोखिमवाली विपदाओंवाले क्षेत्रों में सुरक्षित आश्रय आवासों की ओर जाने हेतु निर्देशित बचाव मार्गों/स्थान निर्देशित साइन बोर्ड और सूचनाएँ लगाना; तथा
- ❖ विपदा के आने से पूर्व सामुदायिक बचाव अभ्यास प्रशिक्षण।

अ.१.३ इस स्थिति में जोखिमग्रस्त व्यक्ति अपनी तरह से बचकर नहीं निकल सकते तो उन्हें जोखिमग्रस्त क्षेत्र से बचाकर निकाला जाना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- ❖ यह सुनिश्चित करना कि जोखिमवाले सभी क्षेत्रों में बचाव से संबंधित उपायों तथा लोगों के एकत्रित होनेवाले स्थानों के संबंध में सूचनाओं की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई हैं;
- ❖ खास जरूरतमंद लोगों की पहचान करना तथा विकलांग लोगों, बुजुर्ग लोगों, अस्पतालों में दाखिल लोगों, कैदियों समेत लोगों के परिवहन से संबंधित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करना;
- ❖ सामान्य रूप से प्रभावित लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना; और
- ❖ बचकर निकले हुए लोगों के द्वारा छोड़े हुए उनके घरों और सामान की सुरक्षा करना।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- ❖ अपने घरों और मालसामान को छोड़कर अपने घरों से सुरक्षित रूप में निकलने के उपायों तथा उपयुक्त विकल्पों, बचाव के मार्गों की पहचान करने में लोगों की प्रतिभागिता; और
- ❖ संपत्ति और मालसामान के अद्यतन रिकार्ड रखना।

अ

अ.१.४ यदि बचाकर निकाले जाने के लिए बाध्य न किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अपना स्थान छोड़कर जाने के अनिच्छुक व्यक्तियों को उनकी इच्छा के खिलाफ अपना स्थान छोड़कर जाने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।

(१) यह कानून के अनुसार हो।

(२) उनके जीवन और स्वास्थ्य के प्रति तात्कालिक और भयानक खतरा होने की स्थिति में ऐसा करना पूर्णतः आवश्यक हो तथा उनके इस खतरे को टालने के लिए अन्य उपाय अपर्याप्त हों, तथा

(३) यथासंभव रूप में संबंधित व्यक्तियों को सूचित करके उनकी सलाह लेने के बाद कदम उठाए जाए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- ❖ जोखिमग्रस्त लोगों को सूचित करके तथा उनकी सलाह के आधार पर उन्हें बताना कि उन्हें बचाकर कहाँ और कितने समय तक ले जाना है तथा
- ❖ जोखिमग्रस्त लोगों के साथ परामर्श करना कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से लोग वहाँ से निकलना नहीं चाहते।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- ❖ बचाव कार्य के लिए स्थितियों और दशाओं के अनुसार सांविधिक व्यवस्था को अपनाना।
- ❖ जोखिम की स्थिति का तकनीकी आकलन तथा विपदा संभावित क्षेत्रों में कम अंतर्वेधी उपायों की संभावना।
- ❖ स्थितियों के अनुरूप लोक चेतना फैलाना ताकि लोगों का वहाँ से बचाकर निकाले जाने के विवश किया जा सके।
- ❖ बचाकर निकाले जाने के लिए कब और कैसे बाध्य किया जाएगा, इसके संबंध में सूचना देना/सलाह लेना।
- ❖ स्वैच्छिक रूप से बचकर निकाले जाने में आनेवाले संभावित अवरोधों के संबंध में संभावित प्रभावित व्यक्तियों के साथ सलाह मशविरा करना।

अ.१.५ बचावकार्य चाहे स्वैच्छिक हो या बाध्यतापूर्ण, उसे इस रूप में किया जाना चाहिए जिससे प्रभावित लोगों के जीवन, संप्रभुता, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकारों का पूर्ण सम्मान हो तथा इससे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो। अतः यथासंभव रूप में संबंधित लोगों को उनके द्वारा समझी जा सकनेवाली भाषा में उनकी पहुँच के अंदर इस रूप में सूचित करना चाहिए ताकि वे बचाव के समय और प्रक्रिया के बारे में जान सकें तथा उन्हें यह पता लगा सके कि यह क्यों जरूरी है।

अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- बचाकर निकाले गए लोगों और उनके माल-सामान का पंजीकरण करना तथा उनके बचाव कार्य की देखभाल करना; तथा
- जहाँ परिवहन के साधन सीमित हों वहाँ ऐसी स्थिति में खास जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देना।

अ.१.६ जो लोग अपना स्थान छोड़कर या बचाकर निकाले जाते हैं उनके स्थायी आवास के नजदीकवाले स्थानों पर उनके ठहरने हेतु सहायता दी जानी चाहिए जैसा कि सुरक्षा/रक्षा स्थिति के अनुरूप हो।

अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- नजदीकी उपयुक्त बचाव स्थल की पहचान करना और उसे प्राथमिकता देना, और
- उस विस्तार के अतिथि परिवारों के लिए सक्रिय रूप से तलाश करना।
- तैयारी के संबंधित उपाय
- बचाकर निकाले गए लोगों के स्वागत की तैयारी तथा आंतरिक विस्थापन के दिशानिर्देश सिद्धांतों के अनुसार उनकी सुरक्षा करना; तथा
- अतिथि परिवारों की पहचान करना तथा अतिथि रखने के संभावित भुगतान योजना की तैयारी।

अ.१.७ अस्थायी आश्रय आवास क्षेत्र या मान्य बचाव केन्द्रों में जहाँ बचाव कार्य के उपरांत लोग लाए जाते हैं वह सुरक्षित स्थान होना चाहिए तथा वहाँ उनके लिए कोई भी जोखिम नहीं होनी चाहिए[१३] उन्हें वहाँ संबंधित लोगों की संप्रभुता के अनुरूप रूप में रहनेलायक स्थिति में रखना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे स्थानों की सुरक्षा का आकलन करना ताकि, न्यूनतम भौतिक सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति हो सके तथा यथासंभव रूप में पहचान की गई जोखिमों को कम करने के उपाय किए जा सकें।
- जहाँ पहचाने गए जोखिम पूरी तरह से कम न किए जा सकते हों वहाँ तुरंत और अधिक सुरक्षित स्थान की पुनः तलाश की जानी चाहिए।
- स्व-शासन के उपयुक्त रूप की स्थापना तथा खास जरूरतोंवाले लोगों समेत बचाव केन्द्र में विस्थापित अतिथि लोगों के बीच प्रतिभागिता के ढाँचे।
- बचाव केन्द्रों में अतिथी सभी लोगों को स्थिति के बारे में तथा भावी स्थिति के संदर्भ में सही समय पर सूचित करने की प्रणाली विकसित करना।
- बचाव केन्द्रों में अतिथि विस्थापित लोगों की सुरक्षा के संबंध में चेतना फैलाने के कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संभावित सुरक्षा मामलों पर सूचना एकत्रित करने के संदर्भ में इन अवसरों का उपयोग करना।

---

१३ देखें विशेष रूप से, नीचे अ.३ और अ.४.

तैयारी से संबंधित उपाय :

- बचाव केन्द्रों के लिए मानदंड़ो का निर्धारण (भौगोलिक परिस्थिति, भवन का प्रकार और स्थिति, भवन का आकार और क्षमता, कब्जा अवधि, पहुँच, संचार, सफाई और भोजन पकाने की सुविधाएँ बैकअप उपयोगिता, आदि)।
- बचाव स्थल पर देखभाल, संयोजन और प्रबंधन के लिए भूमिकाएँ और जवाबदारियाँ निर्धारित करना।
- खास जरूरतमंद लोगों के लिए किटों का पूर्व निर्धारण (बच्चों के लिए मनोरंजन से संबंधित किटे आदि) या बचाव केन्द्रों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई किटें; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि बचाव केन्द्रों में या अस्थायी आश्रय आवासों में अतिथि विस्थापित व्यक्तियों के साथ काम करनेवाले लोगों को आचर संहिता विषयक प्रशिक्षण दिया गया है।

अ.१.८ सुरक्षा और सहायता उपलब्ध करनेवाले अंतरराष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों को तब तक बाध्यता पूर्ण बचाकर निकालने जाने का कार्य नहीं करना चाहिए जब तक यह कार्य संबंधित संगठन के शामिल हुए बिना लोगों के जीवन, भौतिक संप्रभुता और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरे की दृष्टि से टाला न जा सकता हो।

अ.२ परिवारों के बिछुड़ने के खिलाफ सुरक्षा[१४]

अ.२.१ बचाव कार्य के लोगों को निकालते समय परिवारों अलग-अलग होने की स्थिति न्यूनतम रूप में होनी चाहिए। यथासंभव रूप में यह कार्य करने में बच्चों को बचाकर निकालने में उनके माता-पिता या अभिभावक के साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माता-पिता के समूह के बिना बच्चों को बचाकर निकाले जाने का कार्य अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए।

अ

अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- बच्चों के लिए पहचान टैग या ब्रेसलैट का उपयोग।
- बचाव करके निकाले गए बच्चों और उनके माता-पिता का पंजीकरण; और
- बचाव करके निकाले गए बच्चों के जिस स्थान पर ले जाया गया हो उस स्थान का पंजीकरण तथा उस स्थान के बारे में उसके माता-पिता को सूचित करना।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- ऐसे एकल बच्चों/सामान की पहचान जो कि एक साथ बचाकर निकाले जाने के लिए कई हों।
- बचाकर निकाले जाने से पूर्व पहचान सामग्री का वितरण; और
- बच्चों के लिए बचाकर निकाले जाने के स्थान की पहचान में बच्चों के माता□पिता और पाठशालाओं की भागीदारी।

अ.२.२ बचाव कार्य के दौरान जो बच्चे अलग हो गए हैं या जिनके साथ उनके माता-पिता नहीं हैं उन्हें अस्थायी आंतरिक देखभाल केन्द्र में रखा जाए। जब तक स्थिति सामान्य न हो तब तक संस्थागत या दीर्घकालीन दत्तक लेने की व्यवस्था करने से बचा जाए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- अस्थायी आंतरिक देखभाल करने और उनकी देखभाल करने के लिए उपयुक्त लालनपालन गृह/अभिभावकों की पहचान करना; तथा

१४ ड.३ पारिवारिक जुड़ाव की पुनः स्थापना भी देखें।

- विपदा आने से पहले अंतिम रूप में तय न किए जानेवाले विदेशी अभिभावकों द्वारा दत्तक लेने की कार्यवाही से रद्द करना।

अ.३ कुदरती विपदाओं के गौण प्रभावों[१५] से सुरक्षा :

अ.३.१ कुदरती विपदाओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा कुदरती विपदाओं संभावित के गौण प्रभावों के खतरों से की जानी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं[१६] :

- संभावित गौण प्रभावों के संबंध में प्रभावित लोगों को सूचित करना।
- उन स्थानों का जोखिम आकलन करना जहाँ प्रभावित लोग लगातार रहते हों; तथा
- उन स्थानों का जोखिम आकलन करना जहाँ बचकर भागकर लोग पहुँचे हों या जहाँ उन्हें लाया गया हो तथा जहाँ आवश्यक तकनीकी अनुकूलन या सुधार उपाय : जैसे – पानी भरने को रोकने, सफाई व्यवस्था के ऊपर से होकर पानी के बहने आदि या फिर ऐसा कर पाना संभव न हो या अपर्याप्त हो तो अन्य अधिक सुरक्षित स्थान का पुनः निर्धारण करना।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- नक्शा तैयार करना तथा जोखिमों को अद्यतन रूप देना; और
- सुरक्षित स्थानों की पुनः पहचान करना।

अ.३.२ कुदरती विपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा रासायनिक, टॉक्सिक कचरे एंटी पर्सनल लैंड माइन्स और विस्फोट न हो सकनेवाले गोले बारूद तथा अन्य खतरनाक सामग्री से की जानी चाहिए जिसे कुदरती विपदा के दौरान निकाला, छिपाया या प्राप्त ढँका गया हो।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- तार हटाना तथा संबंधित क्षेत्र का अंकन करना।
- संबंधित विशिष्ट संगठनों को समुचित कदम उठाने के लिए सचेत करना; और
- सूचना और चेतना अभियान चलाना।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- नक्शे बनाना तथा रासायनिक, टॉक्सिक कचरे बिना विस्फोट हुए गोलाबारूद तथा अन्य खतरनाक सामग्री को उस क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहाँ विपदा जोखिम अधिक हो।

अ.४ लिंग आधारित हिंसा समेत हिंसा के खिलाफ सुरक्षा

अ.४.१ आपातकालीन चरण में तथा उसके बाद कुदरती विपदा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- निवारक उपाय :
  - प्रभावित लोगों में तथा उनके बाहर हिंसा के संभावित स्रोत का मानचित्रीकरण और पहचान;

१५ इस विचार के लिए देखें परिशिष्ट-१, शब्दावली

१६ अन्य उपायों के लिए अ.१.७ भी देखें

- हिंसा से जोखिम रूप विशेष व्यक्तियों; जैसे अकेली महिलाओं, लड़कियों, एकल अभिभावक घरों, एकल या बिछुड़े बच्चों, बुजुर्ग व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों आदि की पहचान करना;
- लिंग आधारित हिंसा, डकैती, लूटपात आदि जैसे जोखिमभरे स्थानों पर या सामान्यतः कानून का पालन न किए जानेवाले क्षेत्रों में कानून का पालन कराने हेतु अतिरिक्त आवश्यक सुरक्षा बल लगाने की पहल करना;
- विपदा के आने के परिणाम स्वरूप पैदा हुए नए विशिष्ट खतरों; जैसे शोषण, अवैध व्यापार आदि के संबंध में जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा हेतु लोगों में चेतना अभियान चलाना;
- बड़े और भीड़भाड़ युक्त सामूहिक आश्रय आवास केन्द्रों से बचना; और
- महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग लोगों और विकलांग व्यक्तियों समेत प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित कार्यों में शिविरों और सामूहिक केन्द्रों की डिजायन तैयार करने में शामिल करना।
  - आश्रय आवासों के डिजायन, स्थान तथा ले-आउट तैयार करना;
  - विद्युत कार्य, फैंसिंग कार्य, तथा अन्य सुरक्षा के उपाय; और
  - भोजन वितरण और पानी के बिंदु, सफाई सुविधा, ईंधन के स्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के स्थान और उस तक सुरक्षित रूप में पहुँच।

❖ अतिथि समुदायों के आतिथ्य से सुरक्षा इन उपायों के लिए देखें अ-५।

❖ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में प्रभावित लोगों में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा।

- जहाँ उपयुक्त हो वहाँ ऐसे पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग रखना जो उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं।
- स्थानीय कानून व्यवस्था लागू करनेवाले अधिकारियों, न्यायपालिका तथा जहाँ आवश्यक हो संबंधित प्रबंधन समिति के साथ सहयोग प्राप्त करके बच्चों और महिलाओं के अनुकूल वातावरण की स्थापना करना ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों में घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट हो सके तथा ऐसी घटनाओं के समाधान ढूढ़े जा सके।
- सामुदायिक मोविलाइजरों का उपयोग करके आश्रय आवासों में रह रहे व्यक्तियों को संगठित करके एक समुदाय के रूप में आश्रय आवास के अंदर सामुदायिक नीतियाँ तैयार करने समेत कार्य करना।
- आश्रय आवास में रहनेवाले लोगों के घनिष्ठ सहयोग से विशेष रूप से महिलाओं में सुरक्षा और आश्रय आवास के लोगों में बड़ी पद्धति की स्थापना करना।

❖ देखभाल, रिपोर्टिंग और रैफरल प्रणाली की स्थापना।

- आश्रय आवास ओम्बुड्सपर्सन प्रणाली या अन्य शिकायतों और देखभाल प्रणाली की स्थापना।
- शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रणाली स्थापित करना कि सभी संस्थाओं और सेवा प्रदाताओं की बचाव करके लाए गए व्यक्तियों/विस्थापित लोगों के प्रति उत्तरदायित्व रहे।
- मानव अधिकारों के उल्लंघन या शोषण के शिकार पीड़ितों को समय पर वांछित सेवाओं के लिए रेफर करने हेतु रैफरल प्रणाली की स्थापना करना; और
- विस्थापित क्षेत्रों, शिविरों और सामूहिक केन्द्रों के प्रति राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा नियमित रूप से दौरे आयोजित करके।

❖ संगठित योजनाबद्ध अपराध से प्रभावित लोगों की सुरक्षा, देखें अ.३।

❖ प्रभावित लोगो उन स्थानों पर सुरक्षा जहाँ मानवतावादी सहायता वितरित की जा रही हो।

- जहाँ तक संभव हो, लाभार्थियों को पहले से ही सूचना देना कि कब और कहाँ सहायता वितरित की जाएगी।

अ

- महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग लोगों तथा विकलांग लोगों के लिए अलग-अलग समय और स्थानों पर लाभार्थियों के अतिरिक्त अलग वितरण व्यवस्था करना।
- जहाँ मानवतावादी सहायता सशस्त्र सेनाओं या समूहों द्वारा दी जाती हो वहाँ यह सुनिश्चित करना कि नागरिक सत्ता या मानवतावादी संगठन ऐसी राहत व्यवस्था की देखभाल करें।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- ❖ नवयुवतियों और युवकों, लड़कियों और लड़कों को दी जानेवाली सामग्री के प्रति चेतना फैलाने की तैयारी।
- ❖ आपातकालीन स्थिति में कार्य करने के लिए कानून लागू करनेवाले कार्मिकों का प्रशिक्षण।
- ❖ सुरक्षा विषयक संभावित स्रोतों का मानचित्रिकरण और
- ❖ महिलाओं और लड़कियों की शारीरिक और व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु मानक निर्धारित करना तथा उन्हें आश्रय आवासों की योजना बनाने और उनकी पूर्व पहचान करने में शामिल करना।

अ.४.२ प्रभावित लोग, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा की जानी चाहिए तथा ऐसी हिंसा से पीड़ितों के लिए समुचित सहायता दी जानी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ लिंग आधारित हिंसा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए समुदाय आधारित कार्य करना।
- ❖ लिंग आधारित हिंसा के जोखिम तथा ऐसी हिंसा के अपराधिक स्वरूप के संबंध में शिक्षा अभियान चलाना।
- ❖ हॉटलाइन नंबर के साथ सेल फोन का वितरण।
- ❖ महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना।
- ❖ औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यों में बच्चों का नामांकन या आरंभिक संभावित रूप में अन्य बालोपयोगी स्थान की व्यवस्था करना।
- ❖ गैर-भोजन सामग्री विषयक महिलाओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए रणनीतियाँ बनाना तथा उनके सुरक्षित वितरण की व्यवस्था करना।
- ❖ लिंग संवेदी और गोपनीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना (स्वास्थ्य, सुरक्षा कानूनी/न्यायिक और मनोवैज्ञानिक सहायता समेत) तथा लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए पर्याप्त सहायक सामग्री का रैफरल तंत्र सुनिश्चित करना। इससे सेवा प्रदाताओं के बीच निर्माण क्षमता वृद्धि हो सकती है तथा सामग्री और स्वास्थ्य के प्रति तकनीकी सहायता तथा अन्य प्रणाली भी कारगर सिद्ध हो सकती हैं।
- ❖ कानून-व्यवस्था लागू करनेवाली संस्थाओं का क्षमता निर्माण करना कि लिंग आधारित हिंसा की घटनाओं की जाँच कैसे करें, प्रशिक्षित महिला सुरक्षा कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में इसमें शामिल कैसे करें, फास्ट ट्रेक रूप में भर्ती करके या प्रभावित समुदायों से महिलाओं का इसमें उपयोग करके क्षमता निर्माण कार्य किया जाए।
- ❖ ऐसे कानून और व्यवस्था लागू करनेवाले अधिकारियों, न्यायपालिका और आश्रय आवास प्रबंधन समिति के सहयोग से बच्चों और महिला अनुकूल प्रक्रिया करके पीड़ितों और उनके परिवारों से लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्ट कराना।
- ❖ यथासंभव शिघ्र रूप में लिंग आधारित हिंसा की समयबद्ध रूप में जाँच कराकर तथा केस चलाकर प्रभावी गवाह को सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ लिंग आधारित हिंसा तथा व्याप्त प्रचलन के अनुसार होनेवाली घटनाओं की रिपोर्टों की प्रणालीबद्ध देखभाल करना।
- ❖ लिंग आधारित हिंसा के जोखिम और उसके परिणाम स्वरूप होनेवाले दंड के संबंध में शिक्षा अभियान चलाना।
- ❖ सामुदायिक मोबीलाइजरों की व्यवस्था करना।

अ.४.३ प्रभावित लोगों की अवैध व्यापार बाल मज़दूरी, गुलामी के समसामयिक रूप जैसे विवाह के रूप में बिक्री, जबर्दस्ती वैश्यावृत्ति कराना, यौन शोषण तथा ऐसा ही अन्य शोषण।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- अवैध देह व्यापार, शोषण आदि की जोखिमों के संबंध में प्रभावित लोगों में चेतना फैलाने के अभियान चलाकर;
- औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यों में बच्चों का नामांकन कराकर या यथासंभव आरंभिक चरण में अन्य बालोपयोगी स्थान की व्यवस्ता करके;
- कानून व्यवस्था का पालन करानेवाली संस्थाओं का क्षमता निर्माण करके कि अवैद देह व्यापार, बाल श्रम तथा शोषण के अन्य ऐसे ही रूपोंवाली घटनाओं के प्रति अनुक्रिया तथा जाँच कैसे की जाए;
- कानून का पालन करनेवाले कर्मचारियों में फास्ट ट्रेक भर्ती या आश्रय आवासों में महिलाओं को शामिल करके समुचित संख्या में प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों को शामिल करना;
- स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखनेवाले कर्मचारियों के सहयोग से न्यायव्यवस्था तथा आश्रय आवास प्रबंधन समिति के सहयोग से बाल एवं महिलाओं के अनुकूल कार्यविधि तैयार करना जिससे पीड़ित एवं उसका परिवार अवैध देह व्यापार बाल मज़दूरी या शोषण के ऐसे ही अन्य प्रकार के बारे में रिपोर्ट कर सके; और
- यथासंभव शीघ्र रूप में अवैध देह व्यापार, बाल मज़दूरी, बच्चों की भर्ती तथा ऐसे ही अन्य प्रकार के शोषण तथा प्रभावित पीड़ित व्यक्ति और गवाह की सुरक्षा के साथ इस संबंध में जाँच कार्य करना।

अ.४.४ प्रभावित क्षेत्र और लोगों के प्रति अन्य प्रणालियों-राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं, ओम्बुड्समैन, या स्थानीय बार एसोसिएशन के लिए सुविधाजनक रूप में पहुँच बनाकर हिंसा और मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को चलाया जा सके।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- प्रभावित लोगों के मामले लेने के लिए इन संस्थाओं के साथ पहल करना तथा चेतना फैलाना और
- ऐसी संस्थाओं को संभारतंत्र और कर्मचारी की सहायता प्रदान करना।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- मानवतावादी कार्यों की बजट व्यवस्था के अंदर देखभाल प्रणाली प्रचालन बजट ते विस्तार का समावेश; तथा
- विपदा कार्य में सुरक्षा जोखिम की विशिष्टता के संबंध में देखभाल प्रणाली के सदस्यों का प्रशिक्षण।

अ.४.५ यदि कोई कुदरती विपदा सशस्त्र संघर्षवाले क्षेत्र में आती है तो समुचित निवारक उपाय तुरंत किए जाने चाहिए या पहले से किए जानेवाले प्रवर्तमान उपायों को पुनः लागू करने में कुदरती विपदा से पीड़ित बच्चों की भर्ती के खिलाफ तथा उनका सशस्त्र सेना या समूहों, स्थानीय फोज समेत द्वारा उपयोग करने हेतु अंतरराष्ट्रीय मानक और क्रियाविधि लागू करना (देखें परिशिष्ट-३)।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- सशस्त्र सेनाओं और सशस्त्र समूहों द्वारा बाल-भर्ती के जोखिम तथा उनके सशस्त्र संघर्ष में उपयोग किए जाने के खिलाफ चेतना फैलाने का अभियान आयोजित करना तथा इस तथ्य के साथ कि इस तरह से भर्ती करना या शत्रु के साथ उनका इस तरह से उपयोग करना युद्ध अपराधों में शामिल किया जा सकता हैं।
- बच्चों के भर्ती करने तथा उनका उपयोग करने से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए समुदाय आधारित कार्य कराना।
- सशस्त्र सेनाओं और सशस्त्र समूहों के साथ यथावश्यक रूप में, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ अंतरिम देखभाल और परिवार के साथ पुनर्मिलन हेतु बच्चों के लिए समुचित सेवाएँ सुनिश्चित करना।

- भर्ती की जोखिमवाले बच्चों के लिए शिक्षा और आजीविका अवसरों के प्रति पहुँच की सुविधा तथा निवारक और सुरक्षात्मक उपायों दोनों का उपयोग।
- विस्थापन के संदर्भ में यह आश्वासन देना कि शिविरों और सामूहिक आवासों का मानवतावादी और नागरिक चरित्र बनाकर रखा जाएगा (देखें-अ.५.३ और ब.२.३)
- विपदा क्षेत्रों में कार्यरत कानून लागू करने तथा फौज के साथ जुड़ाव स्थापित करके समुचित रेफरल तकनीक के साथ यथावश्यक रूप में क्षमता का निर्माण करना।
- जो बच्चे विपदा प्रभावित देशों से अन्य देशों को भर्ती से बचने के लिए भाग जाते है या सशस्त्र सेनाओं या समूहों द्वारा इस तरह से उपयोग करने पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शरण प्राप्त करने हेतु उनके अदिकारों से प्रभावी रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह पुष्टि करना कि शरणार्थी निर्धारण का कार्य लड़कों और लड़कियों द्वारा विशिष्ट सशस्त्र संघर्ष के होने या भर्ती समेत विशेष न्यायिक व्यवस्था के समक्ष हो।
- भर्ती की घटनाओं तथा प्रचलन की प्रणालीबद्ध रूप में देखभाल हो तथा सशस्त्र सेनाओं और सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की उपयोग भर्ती में न हो।

अ.५ अतिथि परिवारों और समुदायों या सामूहिक आश्रय आवासों में सुरक्षा

अ.५.१ समुचित देखभाल और ओम्बुड्स प्रणाली का पालन आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के अतिथि परिवारों के साथ रहने में होना चाहिए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- होट लाइनों या आसपड़ोस की देखभाल प्रणाली की स्थापना।
- परामर्शन और कानूनी सलाह सेवाओं के साथ सामुदायिक/महिला केन्द्रों की स्थापना।
- सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्थाओं के कर्मचारियों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं द्वारा क्षेत्र में आंतरिक रूप से विस्थापित सदस्यों की पर्याप्त संख्या के साथ नियमित रूप से दौरा कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। और
- यह सुनिश्चित करना कि देखभाल और ओम्बुड्स प्रणालियाँ बालकों और महिलाओं के अनुकूल है तथा विकलांग लोगों की पहुँच के अंदर है।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- विपदा तैयारी में देखभाल और ओम्बुड्स प्रणालियाँ शामिल की गई है तथा विपदा प्रभावित क्षेत्र में आनुषंगिक योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं, तथा
- देखभाल और ओम्बुड्स प्रणालियों के सदस्य विपदा की स्थितियों में सर्जित होनेवाले या प्रवर्तमान जोखिमों की पहचान करने में प्रशिक्षित हैं।

अ.५.२ विपदा से विस्थापित लोगों के लिए शिविर और सामूहिक केन्द्र ऐसे स्थानों पर यथासंभव रूप में बनाए जाने चाहिए जहाँ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों, महिलाओं, बुजुर्ग व्यक्तियों तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के इंतजाम पूर्णतः हो सकें तथा उनकी भौतिक सुरक्षा को जोखिम न हो तथा अतिथि समुदायों पर उनका प्रभाव कम से कम हो।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- धुलाई और सामुदायिक सफाई सुविधाएँ पानी की व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण बिंदु, ईंधन के स्रोत, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ उनके रहने और विश्राम करने के आवास स्थान के नजदीक हों तथा यह संभव न हो तो विशेष रूप से रात में उनके सुरक्षित रूप में वहाँ पहुँच का उनके उपयोग करने की व्यवस्था सभी स्तरों पर समुचित विद्युत की व्यवस्था और सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति होनी चाहिए।

- ❖ आश्रय आवासों और रहने/शमन करने के आवासों की डिजाइन इस रूप में बनाई जानी चाहिए कि उनमें लोगों की व्यक्तिगत निजता और गोपनीयता बरकरार रहे तथा अवांछित लोगों और राहगीरों से उनकी सुरक्षा भरपूर हो।
- ❖ कानून का पालन करनेवाले कर्मियों के द्वारा सुरक्षा देखभाल का कार्य तथा विस्थापित समितियों में शिविर/आश्रय आवास समितियों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लोगों के लिंग और आयुवर्ग के प्रतिनिधित्व रूप उनका समावेश देखभाल कार्य में होना चाहिए। (उपर्युक्त अ.४.१ भी देखें)

अ.५.३ एक बार जब तात्कालिक आपातकालीन चरण पूरा हो जाए सशस्त्र सेनाओं या समूहों द्वारा लगाए गए शिविरों या सामूहिक केन्द्रों का प्रबंधन नागरिक प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका को सुरक्षा प्रदान करके सीमित किया जाना चाहिए।

अ.६ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना :

अ.६.१ मृतकों के पार्थिव शरीर को एक जगह लाकर उनकी पहचान का कार्य करके उनके खराब होने से बचने के लिए तथा उनके सगे संबंधियों को उन्हें सौंपने का कार्य करना चाहिए।

अ.६.२ यदि पार्थिव शरीर को कोई न लेने आए, उदाहरण के लिए जब सगे संबंधियों के बारे में पता न चले तथा पहचान न हो सकती हो तो उनके निपटाने से पहले इस रूप में व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिससे भविष्य में उनके पहचान का कार्य आसान हो सके। पहचान किए गए शवों की अंतिम क्रिया को टाला जाना चाहिए तथा उनके अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें रखना या अस्थायी रूप से दफनाया जाना चाहिए ताकि उनकी भविष्य में पहचान हो सके तथा उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार जनों को सौंपा जा सके।

अ.६.३ पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं और विश्वास के अनुसार करनी चाहिए। ऐसे अंतिम संस्कार मृतक और उसके परिवार के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजीपन को ध्यान में रखकर किये जाने चाहिए। अंतिम संस्कार के स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई भी परेशानी पैदा न हो।

अ.६.४ मृतक के परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की कब्र के स्थान या दफनाने या अंतिम क्रिया करने के स्थान के बारे में पूरी सूचना देनी चाहिए ताकि वे वहाँ अपनी पहुँच बना सकें। उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों और परंपराओं के अनुसार शब को कब्र में दफनाने या अंतिम संस्कार में दाह कार्य करने की पूरी छूट होनी चाहिए तथा उनके स्मारक बनाने और यथावस्यक रूप में धार्मिक किर्याएँ करने की छूट होनी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ विपदा में मृत होनेवाले लोगों की संख्या, उम्र, लिंग, नस्ल, धर्म का पता लगाने का कार्य व्यापक जनगणला या पंजीकरण करने आयोजित करना। मृतक की पहचान सरल रूप से करने हेतु पहचान प्रक्रिया में एंटी मोर्टम आँकड़ों (ए.एम.डी.) की व्यवस्था और उचित संग्रहण शामिल करना।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि मृतकों के शबों की संख्या, उनके फोटोग्राफ, उनके विवरणों (जैसे कपड़े) की पहचान या रिकार्ड उनकी सामूहिक दफन विधि से पूर्व या उनके संबंध में दस्तावेज बनाने में पूरी कर ली जाँए। फोटोग्राफ के अतिरिक्त मृतक के व्यक्तिगत पहचान चिह्न और दस्तावेज, मृतक के एंटीमोर्टम डेटा (ए.एम.डी.) को पोस्टमोर्टम डेटा (पी.एम.डी.) (जैसे अंगुलिछाप, दाँतों का रिकॉर्ड, विशिष्ट चिकित्सा जाँच, सामान्य शारीरिक विशेषताओं, डी.एन.ए. आदि) का उपयोग किया जा सकता है।
- ❖ सामूहिक दफन विधिके मामलों में :
  - मृतकों के शबों की पहचान करने से संबंधित कार्यविधि के बारे में लोगों की समझ में आनेवाली भाषा में प्रभावित समुदायों को सूचित करके लोक सूचना अभियान चलाना। उपलब्ध कराई गई सूचना में विशेष रूप

से बताया जाना चाहिए कि मृतक फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज कहाँ देखे जा सकते हैं जहाँ व्यक्तिगत रूप में प्राप्त वस्तुएँ और दस्तावेज रखे गए हों तथा जहाँ फोरेंसिक परीक्षण किया जा रहा हों; तथा

- मृतक के परिवारजनों, सगे संबंधियों द्वारा माँगे जाने पर मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आपातकालीन कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके मृत रिश्तेदार के न रहने पर उससे संबंधित कानूनी और दीवानी मामलों के समाधान हो सके। इसे प्रभावित परिवारों, संप्रभुता के अधिकार समेत निर्धारित करने में अधिकार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए तथा उनके परिवार के संबंधी के शब की सफाई, आकस्मिक प्राप्त के बारे में इसे अन्य अधिकार के रूप में नहीं लेना चाहिए।

❖ सामूहिक कब्र के विशिष्ट मामले में :

- शबों को एक-दूसरे के साथ रखने से बचना चाहिए।
- कब्र में शब की स्थिति का अंकन और नक्शा बनाना चाहिए।
- सामूहिक कब्र के स्थान के बारे में प्रभावित समुदाय को सूचित करने के लिए लोक सूचना अभियान चलाना चाहिए।
- विपदाओं के विदेशी पीड़ितों के पार्थिव शरीर की पहचान करने तथा उसे स्वदेश भेजने के साथ उसके परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए विदेशी कोन्सुलेट, एम्बेसी और इंटरपोल का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।..

तैयारी से संबंधित उपाय :

❖ पहचान के त्वरित साधन के रूप में डिस्पोजेबल कैमरा का स्टॉक।
❖ पहचान आँकड़ा कार्य की तैयारी; तथा
❖ मुरदाघर, अन्य कोल्ड स्टोर क्षेत्र, तथा सामूहिक कब्र के उपयुक्त स्थान की पहचान करना।

समूह-ब :
खाद्यान्न, स्वास्थ्य, आश्रय आवास और शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अधिकारों की रक्षा

ब.१ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था और उनकी पहुँच – सामान्य सिद्धांत

ब.१.१ मानवतावादी वस्तुएँ और सेवाएँ बिना किसी भी भेदभाव के आकलिक की गई जरूरतों के आधार पर भिन्न जरूरतों के सिवाय जाति, रंग, लिंग, भाषा, विकलांगता, धर्म, राजनीतिक या अन्य विश्वास, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, उम्र या अन्य प्रतिष्ठा में किसी भी भेदभावरहित रूप में दी जानी चाहिए। सभी प्रभावित लोगों की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच सुरक्षित, अबाधित और गैर भेदभावपूर्ण रूप में होनी चाहिए तथा ये वस्तुएँ और जरूरी सेवाएँ उनकी मूल जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। विशिष्ट उपाय जैसे प्राथमिकतापूर्ण पहुँच या अलग वितरण प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जानी चाहिए कि विशिष्ट जरूरतोंवाले लोगों की मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं तक पर्याप्त मात्रा में पहुँच हो सके।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- खास जरूरतमंद लोगों की सभी श्रेणियों समेत आकलन उपकरणों का उपयोग तथा जरूरतों की वस्तुनिष्ठ रूप में पहचान करना।
- इसकी देखभाल करना कि जहाँ विशेष जरूरतमंद लोग, बुजुर्ग लोग, विकलांग लोग, बीमार लोग या छोटे बच्चों और नवयुवकोंवाले महिला प्रधान परिवारों की भोजन, पानी, तथा अन्य मानवतवादी सेवाओं तक पहुँच बनाने का समान अधिकार है तथा उनके लिए अलग वितरण बिंदु/अलग वितरन करने के घंटे वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्धारित करना।
- महिला नेतृत्ववाले घरों, बिना किसी के साथवाले बच्चों, बुजुर्ग लोगों, विकलांग व्यक्तियों तथा खास जरूरतमंद अन्य लोगों में मानवतावादी वस्तुओं को पद्धतियुक्त शामिल करना।
- वितरण केन्द्रों को उपद्रवियों या हिंसा का उपयोग करनेवाले अन्य लोगों से सुरक्षित बनाना; तथा
- वितरण के बाद लाभार्थियों के जोखिमों की देखभाल करना।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- विपदा से पहले आकलन उपकरणों की तैयारी।
- वितरण के लिए सुरक्षित मार्ग और स्थान का विश्लेषण, और
- विशेष जरूरतवाले लोगों के लिए विशेष रूप से वितरण करने की योजना तैयार करना।

ब.१.२ प्रभावित व्यक्तियों को दी जानेवाली मानवतावादी वस्तुएँ और सेवाएँ पर्याप्त रूप में होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की पर्याप्तता के लिए यह जरूरी है कि वे (१) उपलब्धि (२) पहुँच के अंतर्गत (३) स्वीकार्य और (४) अनुकूलनयुक्त होनी चाहिए।

(१) उपलब्धता का अर्थ है कि ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मात्रा और गुणवत्तायुक्त रूप में उपलब्ध कराई जाएँ।

(२) पहुँच के अंतर्गत होना का अर्थ है कि ये वस्तुएँ और सेवाएँ (अ) सभी को उनकी जरूरत के अनुसार तथा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराई जानी चाहिए (ब) ये वस्तुएँ और सेवाएँ प्रत्येक व्यक्तियों खासकर विशेष जरूरतमंद लोगों की सुरक्षित और भौतिक रूप से पहुँच के अंदर हों, तथा (क) इनके बारे में लाभार्थियों को पता हो।

(३) स्वीकार्यता का अर्थ है कि दी जानेवाली वस्तुएँ और सेवाएँ व्यक्तियों, अल्पसंख्यक वर्गों, लोगों और समुदायों की संस्कृति के प्रति सम्मानजनक रूप में तथा लिंग और उम्रगत जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों; तथा

(४) अनुकूलता का अर्थ यह है कि ये वस्तुएँ और स्वाएँ इस तरह से प्रदान की जाएँ कि ये आपातकालीन राहत, पुनः प्राप्ति के विविध चरणों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के अनुरूप हों तथा उन लोगों के देश के किसी भी भाग में बसने पर उन्हें स्थानीय एकता के रूप में लिया जाए।

मानवतावादी कार्यों में योगदाने देनेवाले कार्यकर्ताओं इन सभी मानदंडों की यथासंभव प्राप्त रूप में प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आपातकालीन चरण में खाद्यान्न, पानी और सफाई, आश्रय आवास, कपड़े तथा स्वास्थ्य सेवाएँ समुचित रूप में हों तथा यदि वे विपदा से बचे हुए लोगों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेवाएँ देना चाहते हों तो उन्हें इस सब का पालन करना होगा। (देखें, परिशिष्ट-३)

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

ब

- ❖ उपलब्धता के संबंध में :
  - विपदा संभावित क्षेत्रों में पूर्व नियोजित खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न सामग्री का उपयोग और
  - यथासंभव रूप में यह सुनिश्चित करना कि लोगों की अलग-अलग जरूरतों के अनुसार सामग्री की मात्रा (जैसे भोजन) और विशिष्टता (जैसे तंबु) खाना पकाने के बर्तनों का आकार।
- ❖ बिना भेदभाव के पहुँच बनाने के संबंध में :
  - विपदा से पहले भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार होनेवाले लोगों और समूहों की जानकारी का यथासंभव रूप में पता लगाना या खास जरूरतवाले लोगों के बारे में पता लगाना और चालू मानवतावादी कार्यों में ऐसे न होने देने के लिए देखभाल का कार्य करना ताकि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो और यदि ऐसा होता है तो उसमें हस्तक्षेप किया जाए।
  - मानवतावादी कार्यों में खास जरूरतवाले लोगों समेत प्रभावित जनसंख्या के सदस्यों को शामिल करना; उदाहरण के लिए खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के वितरण में, और
  - ऐसे मामलों की देखभाल करना तथा हस्तक्षेप करना जिनमें प्रभावित लोगों से रिश्वत ली जाती हो या मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की एवज में यौन संबंद बनाने को विवश किया जाता हो।
- ❖ स्वीकार्यता के बारे में :
  - यह सुनिश्चित करना कि यथासंभव रूप में खाद्यान्न, दवा और अन्य सामान; जैसे कपड़े
  - प्रभावित लोगों में, विशेष रूप से देशी लोगों में या किसी खास प्रजाति या धार्मिक समुदायों के लोगों में सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हैं; तथा
  - बुजुर्ग लोगों, गर्भवती एवं स्तनपान करानेवाली माताओं, शिशुओं, विकलांग लोगों, बीमार लोगों तथा खास जरूरतोंवाले अन्य लोगों की खास जरूरतों को ये वस्तुएँ पूरा करती हैं।

बी.१.३ तथा बी.१.४ में उल्लिखित उपायों को भी देखें।

- ❖ अनुकूलता के संबंध में
  - यह सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न, पानी और सफाई, गैर खाद्यान्न वस्तुएँ, आश्रय आवास, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएँ आपातकालीन चरण के न्यूनतम मानक के अनुरूप हैं तथा एक बार आपातकालीन चरण के पूरा होने पर क्या उनसे आगे के समय की जरूरतें पूरी होती हैं।

तैयारी के संबंधित उपाय :

- ❖ खाद्यान्न, आश्रय आवास, कपड़े आदि के रूप में सांस्कृतिक जरूरतों का मानचित्रीकरण।
- ❖ असमेकित आँकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाना कि आयु, लिंग, विकलांगता या गंभीर बीमारी या अन्य घटकों के कारण जरूरतें क्या होंगी; और
- ❖ वस्तुओं को पहले से प्राप्त करके रखना आर्थिक दूर दराज के क्षेत्रों में भी।

ब.१.३ विपदा के कारण होनेवाले विस्थापन के मामले में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खास जरूरतें तथा ऐसे लोगों केआने के परिणामस्वरूप अतिथि समुदायों के अनुभव के अनुसार जरूरतें मानवतावादी सहायता दिए जाते समय बिना किसी भी भेदभाव के तथा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अनुसार पूरी होनी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- ❖ अतिथि समुदाय के ऐसे लोगों को जिन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के समान रूप में वस्तुओं की जरूरत हो तो उन्हें मानवतावादी सहायता उपलब्ध कराकर;
- ❖ जरूरत हो तो अतिथि समुदाय के पुनः प्राप्ति और क्षमताओं के मज़बूतीकरण के लिए समुदाय समुदाय आधारित पहल का उपयोग करना; जैसे – अतिरिक्त पानी और सफाई सुविधाओं की व्यवस्था करके, इस समुदाय की पाठशाला और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके, अतिथि परिवारों को अपने आवासों का विस्तार करने के लिए भवन निर्माण सामग्री की व्यवस्था करके या अतिथि परिवारों के साथ रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को रोकड़ रकम का अनुदान देकर; तथा
- ❖ विस्थापित समुदायों के बीच व्याप्त अन्य टेंशन या विस्थापित और अतिथि समुदायों के बीच व्याप्त टेंशन द्वारा राजनीतिक, संभावित नस्लगत मानवतावादी कार्यकर्ताओं के बीच चेतना फैलाने, आकलन और विश्लेषण करने में यह सुनिश्चित करना कि यह विश्लेषण कार्य करने के लिए योजना बनाने में शामिल कर लिया गया है।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- ❖ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप अतिथि समुदायों के अनुभव से संभावित जरूरतें; और
- ❖ आश्रय आवास की पहचान करने और बचाव कार्य के स्थान और सुविधाओं से संबंधित निर्धारण और निर्णय लेने में अतिथि समुदायों को शामिल करना।

ब.१.४ मानवतावादी कार्य हेतु विशेष कार्यक्रम की डिजायन तैयार करने के कार्य को इसमें शामिल किया जाना चाहिए तथा संबंधित समाज में लिंग विशिष्ट भूमिका को शामिल करना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- ❖ महिलाओं को वितरण करने के संबंध में विशेष रूप से राहत सामग्री टीम में महिलाओं को शामिल करना।
- ❖ वितरण के उन स्थानों पर अलग लाइनें/चैनल बनाना जहाँ सांस्कृतिक रिवाज के कारण महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाती; और

- ऐसे मामलों की पहचान करना तथा देखभाल करना जहाँ उनके समुदायों और परिवारों में वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच बनाने में तथा वितरण में महिलाओं या पुरुषों में भेदभाव किया जाता है तथा ऐसे मामले सामुदायिक नेताओं और परिवार के मुखिया के सामने रखने चाहिए।

ब.२ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, पानी और सफाई, आश्रय आवास, कपड़े, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ और शिक्षा जैसी विशेष जरूरतों की व्यवस्था

ब.२.१ आहार के अधिकार का सम्मान करना चाहिए तथा रक्षा करनी चाहिए। इसे बिना किसी भेदभाव के सबकी पहुँच के अंदर समुचित मात्रा में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा इसके लोगों के प्राप्त होने के अधिकार के रूप में लिया जाना चाहिए। खाद्यान्न से संबंधित हस्तक्षेप भी इसके अनुसार नियोजित किए जाने चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित समुदायों की अधिकतम प्रतिभागिता विशेष रूप से महिलाओं की प्रतिभागिता योजना बनाने, डिजायन तैयार करने तथा खाद्यान्न के वितरण कार्य के अमलीकरण में होनी चाहिए; जैसे – फोकस समूह चर्चाओं का आयोजन करना तथा समुदाय के आयोजकों का महिला प्रतिनिधियों की पहचान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विशेष जरूरतवाले लोगों जैसे – अकेले बच्चों, बुजुर्ग लोगों, विकलांग लोगों को जरूरत के समय या लंबे समय से क्रोनिक बीमारीवाले लोगों जैसे – एच.आई.वी./एड्सवाले लोगों को जिनकी देखभाल विपदा के समय नहीं हो पाई है, उनकी अबाधित पहुँच आहार के प्रति होनी चाहिए विशेष रूप में :
  - विशेष जरूरतवाले लोगों समेत सभी लाभार्थियों के लिए स्पष्ट और पहुँच के अंदर सूचनाएँ बारंबारता, समय और वितरित किए जानेवाले आहार की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में दी जानी चाहिए।
  - महिलाओं या अलग-अलग हुए बच्चों को सीधे आहार का वितरण तथा यदि परंपरागत रूप से महिलाएँ और बच्चे कमी के समय में पुरुषों से कम खुराक प्राप्त करते हैं या फिर यह जोखिम हों कि यह खुराक अन्य उद्देश्य के लिए भेज दी जाएगी।
  - इस तरह से सहायता का वितरण करना कि इससे बुजुर्ग लोगों एच.आई.वी./एड्सवाले लोगों या अन्य खास बीमारीवाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग लोगों तथा अलग-अलग हुए बच्चों की अनदेखी की जाती हो तथा उन्हें लंबे समय तक लाइनों में खड़े रहना पड़ता हो या वितरण केन्द्र से अपने निवास तक भारी बोझ उठाकर आना पड़ता हो (खाद्यान्न के बोरे को अनुपाततः छोटे बनाना ताकि ऐसे लोग उन्हें ले जा सकें); तथा
  - विशिष्ट जरूरतमंद लोगों को पारिवारिक सहायता प्राप्त करने के लिए भोजन संयुक्त रूप से पकाने के लिए जोड़ना क्योंकि ये व्यक्ति अकेले ऐसा करने में असमर्थ होते हैं।
- आहार और पोषण कार्यक्रम में यौन हिंसा को रोकने के लिए रणनीतियाँ सामिल करना;
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करानेवाली माताओं, शिशुओं, बुजुर्ग लोगों या दीर्घकालीन क्रोनिक बीमारियोंवाले व्यक्तियों की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न सामान को इस आपूर्ति में शामिल करना, तथा
- यह सुनिश्चित करना कि वितरित आहार, चाहे पके हुए भोजन के रूप में हो या सूखे राशन के रूप में हो, वह अंतरराष्ट्रीय पोषण मानक के अनुरूप हो तथा संबंधित लोगों को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। यदि यह उपलब्ध हो तो प्रभावित लोगों की आदतों को अनुसार उसे यह दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक रूप में आहार विषयक प्रथा को आरंभिक त्वरित आकलन में शामिल किया जाना चाहिए।

ब.२.२ पानी और सफाई के अधिकार का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। इसे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुँच के अंदर तथा बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए इसे उपयोगयोग्य रूप में समझना चाहिए। पानी और सफाई से संबंधित हस्तक्षेप को तदनुसार नियोजित किया जाना चाहिए. कम से कम सुरक्षित पानी

इतनी मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो कि निर्जलीकरण की बीमारी से बचने के लिए जरूरी हो तथा उपयोग करने, खाना पकाने, व्यक्तिगत उपयोग तथा स्वास्थ्यगत जरूरतों को पूरा करने हेतु जीवन की प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ यह सुनिश्चित करना कि अस्थायी शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में तथा स्थायी पुनर्वसन स्थानों पर पानी के पम्प, शौचालय और स्नान सुविधाओं सहित पर्याप्त मात्रा में समुचित पानी और सफाई सुविधाएँ की गई हैं।
  - ये सुविधाएँ विकलांग लोगों और बुजुर्ग लोगों की पहुँच के अंदर है तथा आसानी से उपयोग करने लायक हैं; तथा
  - सुरक्षित हैं; जैसे–रात में वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी की व्यवस्था की गई है।
- ❖ शिविरों और सामूहिक आश्रय आवास केन्द्रों में महिलाओं और पुरुषों तथा एकल अभिभावक घर के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है।

लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा के लिए अ.४ के तहत सुझाए गए उपायों को भी देखें।

ब.२.३ आश्रय आवास के अधिकार का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए इसे लोगों को सुरक्षा शांति और सम्मान के साथ रहने के रूप में समझा जाना चाहिए। आश्रय आवास विषयक हस्तक्षेप तदनुसार नियोजित किए जाने चाहिए। शिविरों और सामूहिक केन्द्रों को अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए तथा इन्हें तभी स्थापित करना चाहिए जब तक अतिथि परिवार व्यवस्था, स्वाश्रय या त्वरित पुनर्वास व्यवस्ता कर पाना संभव न हो। जहाँ सामूहिक आश्रय आवास हों वहाँ निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

(अ) प्रभावित लोगों को शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में तथा उनके आसपास घूमने-फिरने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। इस तरह की घूमने फिरने की छूट तो प्रतिबिंबित या मना ही उस समय तक नहीं करना चाहिए जब ऐसा करन निर्वासियों या आसपास के लोगों सुरक्षा या स्वास्थ्यगत रक्षा के लिए अत्यावश्यक न हो। यदि प्रतिबंध हों तो अत्यावश्यक न हों तब तक ही उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

(ब) सभी समय उनके नागरिक चरित्र को बनाए रखने के लिए शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सशस्त्र घटकों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि सशस्त्र गार्ड या पुलिस द्वारा सुरक्षा करना आवश्यक न हो। जहाँ सशस्त्र घटकों की उपस्थिति हो, उन्हें नागरिक जनसंख्या से अलग कर देना चाहिए। यदि वे ऐसे शिविरों और केन्द्रों में निवासी परिवार के सदस्य हों तो उन्हें ऐसे स्थानों पर हथियार लेकर या वर्दीपहल कर एक खास वेशभूषा में नहीं आने देना चाहिए।

ब

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ आंतरिक रूप में विस्थापित लोगों के संबंध में अतिथि परिवारों के साथ रहने की व्यवस्था को प्राथमिकता देना (आश्रय आवास कार्यक्रम के लिए रोकड़ रकम द्वारा सहायता या यदि समुचित हों तो निवासस्थान के विस्तार के लिए निर्माण सामग्री समेत गैर-खाद्यान्न वस्तुओं की व्यवस्था करना) या संबंधित प्रासंगीक स्थानीय प्राधिकरण के साथ परामर्श करके सामुदायिक या उपयोग में न किए जानेवाले भवनों का उपयोग करना या विस्थापित लोगों को अनौपचारिक रूप से सार्वजनिक भूमिका पर समुचित आवास की व्यवस्था करने के लिए अनुमति देना।
- ❖ ऐसे विशेष क्षेत्रों का सर्जन करना जहाँ महिलाएँ, चाहे अकेली हों या बच्चों के साथ हो, सुरक्षित और रक्षित रूप में महसूस करें।
- ❖ यथासंभव रूप में ऐसे आश्रय आवासों की व्यवस्था करना जो कि महिलाओं और बच्चों की गोपनीयता के संदर्भ में विशेष रूप से स्वीकार्य हों;
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि विकलांग लोगों और बुजुर्ग लोगों (उम्र के अनुकूल आश्रय आवास) को दिए जानेवाले आश्रय आवास सुरक्षित, समुचित एवं पहुँच योग्य हों; तथा

- यह सुनिश्चित करना कि शिविर और सामूहिक केन्द्र ऐसे क्षेत्रों में स्थित हों जो यथासंभव रूप में आजीविका और रोजगार के लिए आसानी से पहुँच बनाने योग्य हों।

ब.२.४ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पास यदि वैकल्पिक आवास व्यवस्था न हो तथा यह अत्यंत आवश्यक हो तो उन्हें उपयोग न की जानेवाली निजी संपत्ति, जमीन तथा कब्जा प्राप्त करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। प्रभावित निजी संपत्ति के मालिकों को इस तरह के उपयोग के लिए समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सभी पार्टियों को समुचित प्रक्रिया करने की गारंटी तथा समुचित एवं पक्षपात रहित कानूनी प्रक्रिया किए जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के अस्थायी उपयोग के लिए उपयोग में न ली जानेवाली सार्वजनिक या निजी संपत्ति, भूमि और कब्जा देने की कार्यालयी प्रणाली और वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करना।
- उन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों का पंजीकरण करना जो स्वैच्छिक रूप से या सक्षम अधिकारियों के आदेश के तहत बिना उपयोगवाली सार्वजनिक या निजी संपत्ति, भूमि और कब्जा प्राप्त करते है और उसका उपयोग करते हैं; उसका पंजीकरण करना।
- जिन मालिकों की निजी संपत्ति का कब्जा लिया गया है जिसका मुआवजा सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करना; और
- आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों तथा उनके द्वारा उपयोग की जा रही संपत्ति का नूतन मालिकों के बीच संघर्ष की स्थिति में सभी पार्टियों की प्रवर्तमान कानूनी कार्यविधि के लिए पहुँच बनाना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी क्रियाविधि के सर्जन में पहल करना।

ब

तैयारी से संबंधित उपाय :

- विपदा संभावित क्षेत्रों में संपत्ति के मुद्दे की सुस्पष्ट समझ : मालिक कौन हैं? सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि क्या है? संपत्ति श्रेणी क्या है तथा मालिकाना हक किसका हैं? यदि मालिक उपस्थित नहीं है या प्रतिनिधित्व नहीं है तो निर्णय कौन ले सकता है?

ब.२.५ स्वास्थ्य के अधिकार का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए। इसमें समय पर समुचित पहुँच योग्य, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तथा बिना लिंग किसी भेदभाव के लिंग आधारित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा तथा स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण निर्धारिक तत्वों (जैसे कि सुरक्षित और पेय जल तक पहुँच तथा समुचित सफाई पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित आहार की आपूर्ति, पोषण और गृहनिर्माण), स्वस्थ व्यावसायिक और पर्यावरणगत स्थितियाँ, यौनिक और पुनरुत्पादक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा और सूचना तक पहुँच होना शामिल है। स्वास्थ्य विषयक हस्तक्षेप तदनुसार नियोजित किए जाने चाहिए। विशेष रूप से, विशेष ध्यान इन बातों पर दिया जाए :

(अ) प्रभावित व्यक्तियों की जरूरतों में चिकित्सा सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक देखभाल सहित यह पता लगाना कि ये समस्याएँ और जरूरतें पहले से प्रवर्तमान हैं, आपात स्थिति द्वारा पैदा हुई हैं या मानवतावादी कार्य से संबंधित हैं।

(ब) महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य विषयक जरूरतों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बनाने समेत तथा यौनिक एवं पुनरुत्पादक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था, मातृत्व अस्वस्थता दर तथा मृत्यु के दर को कम करने के उपाय सहित यौन हिंसा के मामलों का शुद्धिकरण करना तथा एच.आई.वी. को फैलने से रोकना; समुचित दवाइयों की व्यवस्था तथा स्वास्थ्यकर वस्तुओं की आपूर्ति, पुनरुत्पादक और पुनरुत्पादक और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, परिवार नियोजन सहित तथा आपातकालीन प्रसूति विषयक चिकित्सा शामिल हैं।

(क) प्रभावित लोगों में एच.आई.वी./एड्स सहित संक्रामक और संलग्न रोगों को कम करना तथा उनकी रोकथाम करना।

(ड) घायल लोगों तथा विकलांग लोगों के लिए आवश्यक विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायता।

(इ) क्रोनिक बीमारीवाले लोगों की स्वास्थ्यगत जरूरतें; और

(ई) समुदाय आधारित मनोसामाजिक सहायता की आवश्यकता तथा मानसिक रूप से बीमार प्रभावित लोगों में जिन्हे विशेष जरूरत हो तथा प्राथमिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष रूप में जरूरत हों।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ समुचित रूप में हैं तथा आपात स्थिति के आरंभिक चरणों में पहले से सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हैं तथा ये सेवाएँ महिलाओं और लड़कियों के लिए पहुँच के अंदर हैं;
- आपातकालीन चरण में विशेष रूप से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना;
- यह सुनिश्चित करना कि महिला स्वास्थ्य कर्मचारी तथा महिला दुभाषिए की जरूरत हो तो उसकी सेवाओं की व्यवस्था की जा सकती है।
- घायल लोगों तथा विकलांग लोगों को उनके विशिष्ट स्वास्थ्य और पुनर्वास जरूरतों को पूरा करना तथा आगे दीर्घकालीन क्षति होने से बचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं और लड़कयों तथा इसी तरह प्रासंगिक पुरुषों और लड़कों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनरुत्पादक स्वास्थ्य सेवाओं की कम से कम प्राथमिकता (परिशिष्ट-३ देखें) तथा परिवार नियोजन और यौन अंतरित बीमारियों की जाँच और उपचार समेत अन्य मुख्य सेवाएँ देना।
- यौन हिंसा के शिकार लोगों और उनके बच्चों को जहाँ समुचित हो आसानी से पहुँच बनाने योग्य लिंग संवेदी परामर्शन और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- सांस्कृतिक रूप से समुचित रूप में बच्चों और किशोरों के लिए तात्कालिक आपातकालीन कार्य तथा दीर्घकालीन पुनः प्राप्ति के कार्यों के भाग के रूप में समुदाय आधारित मनो सामाजिक सहायता शामिल करना। प्रवर्तमान सामुदायिक सेवाओं (जैसे – पाठशाला का पाठ्यक्रम, युवा क्लबों, तथा स्वास्थ्य की क्लीनिकों में) मनो सामाजिक सहायता कार्यक्रम शामिल करना। वांछित और समुचित रूप में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति पहुँच सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य करते समय पुरुषों और महिलाओं के प्रतीक्षा क्षेत्रों का अलग-अलग रूप में निर्माण जोकि सांस्कृतिक रूप से युक्तियुक्त हो। प्रभावित समुदाय के सामाजिक ढाँचे और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित रूप में तथा विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मुक्त सार्वजनिक दृष्टि से स्क्रीनिंग और शील्डिंग की सुविधा से पूर्ण हो।
- अल्कोहोल और अन्य टॉक्सिक तत्व विषयक लोकचेतना अभियान आधारित कार्यक्रमों का विपदाओं के बाद अल्कोहोल और अन्य तत्वों की समस्या के समाधान हेतु समुदायों में चलाना।
- जहाँ संभव हो, सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की आसानी से पहुँच के अंदर स्थायी पुनः निर्धारित स्थानों, शिविरों और सामूहिक केन्द्रों को निर्धारित करना या जहाँ संभव न हो वहाँ ऐसे स्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि एच.आई.वी./एड्सवाले लोग विपदा कार्यों में पूरी तरह से समाज के लिए किए गए हैं, एच.आई.वी./एड्स एवं अन्य अधिकारों के संबंध में तथा गोपनीय और गैर भेदभावपूर्ण तथा एच.आई.वी./एड्सवाले लोगों की जरूरतों समेत स्थानीय सरकार, कानून का पालन करानेवालों और

ब

मानवतावादी कार्यकर्ताओं में चेतना फैलाकर तथा शिक्षित करके इन्हें विपदा कार्यों में पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए।

- ❖ एच.आई.वी./एड्सवाले व्यक्तियों की पहचान करना तथा जरूरतमंद लोगों को एंटीरिट्रोवायरल थिरेपी के प्रति पहुँच सुनिश्चित करना; और
- ❖ योजना बनाने में एच.आई.वी./एड्सवाले व्यक्तियों के खिलाफ संभावित भेदभाव होने के संबंध में यदि एच.आई.वी./एड्सवाले लोगों की स्वैच्छिक जाँच करने की व्यवस्था हो तथा यह सुनिश्चित हो कि यह संबंधित व्यक्ति की पूर्ण और सूचित सहमति के आधार पर ही की जाएगी तथा इसे पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा कि सकारात्मक जाँचवाले व्यक्तियों के साथ शिविर का सामूहिक केन्द्र में या सहायता के वितरण के भेदभाव न बरता जाए। अनिवार्य एच.आई.वी. की जाँच करने पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए।

ब.२.६ शिक्षा के अधिकार का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए। इसे बिना किसी भेदभाव के सभी रूपों में तथा सभी उपलब्ध खतरों पर प्राप्त करने के अधिकार के रूप में समझा जाना चाहिए तथा यह पहुँच के अंदर स्वीकार्य और सर्वसमावेशी हो। शैक्षणिक हस्तक्षेप करने की योजना तदनुसार बनाई जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। सभी शैक्षणिक स्तरों पर हस्तक्षेप शिक्षा में निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए।

(अ) बच्चों और नवयुवकों को चाहे वे विस्थापित हों या न हो, सुरक्षित वातावरण में पाठशालाओं में या शैक्षणिक कार्यक्रमों में वापस आना चाहिए तथा विपदा के बाद यथा संभव शीघ्र बिना किसी भेदभाव के उन्हें सुविधा देकर शामिल कर लेना चाहिए। चाहे उनके कागजात जो कि सामान्यतः आवश्यक होते हैं, नष्ट क्यों न हो गए हों।

ब

(ब) पाठशाला के प्रयासों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कियाँ और महिलाएँ तता हाँशिए पर स्थित समूहों के सदस्य, जो विपदा से प्रभावित हुए है उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण और समान अधिकार हैं।

(क) विकलांग बच्चों की जरूरतों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए।

(ड) जब तक जरूरत हो तब तक ही पाठशालाओं को सामूहिक आश्रय आवास केन्द्रों के रूप में अंतिम उपाय के रूप में ही उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे मामलों में वैकल्पिक कक्षाओं के लिए तंबु उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जाने चाहिए :

- ❖ शिक्षा के लिए आकलन की जरूरतों में प्रवर्तमान पाठशाला के भवनों और सुविधाओं की सुरक्षा तथा शैक्षणिक कर्मचारी गण और पाठशालाओं पर विपदा के प्रभाव के आकलन का विचार शामिल करना (जैसे मृतकों की/घायलों की संख्या, माता-पिता/भाई-बहन/परिवार के अन्य सदस्य की मृत्यु का परिवार पर प्रभाव, संपत्ति और माल-सामान का नुकसान)।
- ❖ जहाँ संभव हो वहाँ यह सुनिश्चित करना कि अस्थायी शिविर और बस्तियाँ तथा अस्थायी या स्थायी पुनः स्थान निर्धारण या बस्तीवाले स्थानों को पाठशालाओं तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के पास बनाना।
- ❖ आरंभिक स्तर पर प्रभावित लोगों के साथ पूर्ण सलाह मशविरा करके पाठशाला के भवनों में रह रहे विस्थापित लोगों के लिए सुरक्षित और समुचित वैकल्पिक आश्रय आवास बनाए जाने चाहिए और पाठशालाओं को यथासंभव शीघ्र पुनः खोलना चाहिए। स्थानीय समुदायों के लोगों, पाठशाला के बच्चों, उनके माता-पिता तथा शिक्षकों को पाठशाला के भवनों की साफसफाई तथा पुनर्वास के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि यथासंभव शीघ्र कक्षाएँ आरंभ हो सकें।
- ❖ जरूरत मूल्यांकन के आधार पर पाठशालाओं को पुनः खोलने की योजनाएँ विकसित करने तथा आपातकालीन कार्य में त्वरित अवसर के रूप में कक्षाएँ आरंभ करनी चाहिए।
- ❖ पाठशालाओं के पुनः स्थापित करने या अस्थायी पाठशाला बनाने में महिलाओं और लड़कियों के वहाँ आने-जाने तथा उनकी सुरक्षागत चिंता के रूप में विचार करना।

- ❖ यह पहल करना कि पाठशाला में बच्चों के आने के लिए जन्म प्रमाणपत्र तथा अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज, पाठशाला की वर्दी, तथा बच्चों के माता-पिता द्वारा दिए जानेवाली पाठशाला आपूर्ति में कम से कम अस्थायी रूप में छूट देनी चाहिए।
- ❖ बच्चों को पाठशालाओं में यथाशीघ्र लौटने के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन निम्नानुसार रूप में विशेष रूप में दिए जाने चाहिए।
  - पाठशाला के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में पाठशाला के प्राचार्य तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण की नमनीय पहल लागू करनी चाहिए।
  - पाठशालाओं में बच्चों के यथासंभव शीघ्र लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपातकालीन पाठशाला पंजीकरण या अभियान चलाना; और
  - जो शिक्षक विपदाओं में मृत हुए हैं या घायल हुए थे या विस्थापित हुए हैं, उनके स्थान पर आपातकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर सहायता देना।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि विकलांग या एच.आई.वी./एड्सवाले बच्चे या अन्य खतरेवाले बच्चे या हाँशिए पर स्थित समूहों के बच्चे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों तक समान रूप से पहुँच बना सकें; तथा
- ❖ विपदा के बाद पाठशाला के पाठ्यक्रमों में मनो सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य सूचना (एच.आई.वी./एड्स के निवारण सहित) जमीनी चेतना तथा अन्य विषयवस्तु संबंधित सुरक्षा के मुद्दे शामिल किए जाए।

ब

समूह-क :
गृहनिर्माण, जमीन, संपत्ति, आजीविका और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अधिकारों का संरक्षण

क.१ गृहनिर्माण, जमीन, संपत्ति और कब्जा :

क.१.१ संपत्ति के अधिकार का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। इसे इस रूप में समझना चाहिए कि किसी को अपने घर, जमीन तथा अन्य संपत्ति और उसके स्वामित्व की संपत्ति को बिना किसी के हस्तक्षेप या बिना भेदभाव के उपयोग करने का अधिकार है। संपत्ति से संबंधित हस्तक्षेपों की योजना तदनुसार बनानी चाहिए। संपत्ति के अधिकार का चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक, सम्मान करना चाहिए फिर चाहे वह औपचारिक टाइटल परंपरागत पात्रता या सुदीर्घित या निर्विरोध कब्जे या स्वामित्व के रूप में भले ही क्यों न हो।

क.१.२ कुदरती विपदाओं से विस्थापित लोगों द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति उनकी व्यक्तिगत हो, सामुदायिक या देशी लोगों की हों, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए तथा यह अधिकाधिक यथासंभव प्रयास के रूप में लूट, विनाश, मनमाना या अवैध रूप से बेचने या उपयोग करने से रक्षित होनी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- पीछे छोड़ी गई संपत्ति आदि के लैंडमार्क रिकार्ड फोटोग्राफ के रूप में रखना।
- विस्थापित लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का रिकार्ड मानक रूप में रखा जाए।
- उन क्षेत्रों में जहाँ लूट मचाने या विनाश करने की गतिविधियों की संभावना हो, वहाँ पुलिस बल तैनात किए जाने चाहिए और
- विस्थापित हुए लोगों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने या उपयोग करनेवाले व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत करके प्रभावी उपाय के रूप में मालिकों की पहुँच सुनिश्चित करना।

क.१.३ व्यक्तिगत मालिक या समुदायों, जिनकी लैंड डीड या संपत्ति के कागजात कुदरती विपदा के दौरान खो गए हों या नष्ट हो गए हों तथा जिनकी जमीन की बाउंडरी नष्ट हो गई हों, बिना किसी भी भेदभाव के और समान रूप से पहुँच बनाकर उनकी अपनी मूल जमीन संपत्ति के हेतु बिना किसी देरी के पुनः दावा करने की कार्यविधि की जानी चाहिए। इस तरह की कार्यविधि की सूचना उन्हें दी जानी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- ऐसे मालिकों को कानूनी सलाह देना।
- बालकों और महिला प्रधान परिवारों समेत लोगों की लैंड डीड या संपत्ति के कागजात की कार्यविधि करने के लिए पहल करना।
- संपत्ति के मामलों से संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक प्राधिकरण हेतु क्षमता निर्माण, अतिरिक्त कर्मचारी तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराना।

तैयारी से संबंधित उपाय :

- संपत्ति और मालिकाना हक के लिए लैंड केडेस्टर्स तथा अन्य संबंधित कागजात प्राप्त करना और उन्हें विपदारोधी स्थानों पर रखना; तथा

- ❖ विपदा के बाद मालिकाना हक की पुष्टि करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने हेतु पहल करना जैसे विश्वस्त गवाह से साक्ष्य प्राप्त करना (यथा आसपड़ोस के लोग या ग्राम समितियाँ) जहाँ पुराने दस्तावेज पुनः प्रस्तुत करना संभवित न हो।

क.१.४ जब प्रवर्तमान प्रशासनिक या अदालती कार्यवाही केसों के बहुत अधिक होने के कारण व्यर्थ की देरी के बिना संभव न हो तो जमीन और संपत्ति के दावे के लिए विशेष प्रणाली आसान कार्यविधि, के साथ बिना किसी भेदभाव के सबकी पहुँच के अंदर अपनाए जाने पर विचार करना चाहिए। स्वतंत्र न्यायालय या ट्रिबुनल तक पहुँच उस स्थिति में बनाई जानी चाहिए जब एक पार्टी इस निर्णय को स्वीकार न करे।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- ❖ ऐसी क्रियाविधि की स्थापना हेतु पहल करना।
- ❖ ऐसी प्रणाली के लिए क्षमता का निर्माण, कर्मचारी गण तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराना।
- ❖ ऐसी प्रणाली के कर्मचारी गण का क्षमता निर्माण और
- ❖ प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना तथा इस प्रक्रिया तक कैसे पहुँच बनाई जाए, इस संबंध में सूचित करना।

तैयारी संबंधी उपाय :

- ❖ ऐसी प्रणाली को सर्जित करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए पहल।

क

क.१.५ प्रभावित महिलाओं विशेष रूप से विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को उनके घर, जमीन, संपत्ति और कब्जा उनके नाम से दावा कराकर या घर या लैंड टाइटल डीड उनके नाम पर कराकर सहायता दी जानी चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ ऐसे व्यक्तियों को कानूनी सलाह या कानूनी सहायता देना।
- ❖ जहाँ जरूरी हो वहाँ कानून में संशोधन करने की पहल करके महिलाओं और बच्चों के नाम पर संपत्ति कराना; तथा
- ❖ बालकों और महिलाओं के अनुरूप कार्यविधि की स्थापना करना तथा उन्हें इसके बारे में सूचित करना तथा बताना कि वे इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं।

क.१.६ लैंड टाइटल दस्तावेज के अभाव में लैंड टाइटल और मालिकाना हक का दावा प्रस्तुत करनेवाले देशी लोगों और गैर–यहूदी अल्पसंख्यक समूहों के परंपरागत दावों का सम्मान करना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ ऐसे समुदायों के लिए कानूनी सलाह या कानूनी सहायता उपलब्ध करना; और
- ❖ जहाँ आवश्यक हो, वहाँ देशी लोगों और गैर□यहूदी अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को उनके भूमि के मालिकाना हकों की प्राप्ति के लिए कानून और क्रियाविधि में संशोधन करने के लिए पहल करना।

क.२. परंपरागत आश्रय आवास, गृहनिर्माण और खाली कराना

क.२.१ दिए गए परंपरागत आश्रय आवासों में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुसार जरूरतें पूरी होनी चाहिए। इस पर्याप्तता के लिए मानदंड इस प्रकार है : पहुँचयोग्य, अनुरूपता, आदत, अवधि की सुरक्षा, सांस्कृतिक पर्याप्तता, स्थान की उपयुक्तता तथा स्वास्थ्य केन्द्र और शिक्षा जैसी संवेदनशील सेवाओं के प्रति पहुँच (देखें ब.१.२) भावी विपदाओं के मामलों में कम नुकसान के सुरक्षा मानकों के अनुसार होना भी पर्याप्तता के मानदंड के अतंर्गत आता है।

क.२.२ बिना किसी भेदभाव के यथासंभव शीघ्र रूप में आपातकालीन आश्रय आवास से अंतर्गत अन्य आश्रय आवास में या स्थायी आवास में जाने की प्रक्रिया त्वरित रूप में समुचित मानकों के अनुरूप हो।

क.२.३ सभी प्रभावित समूह और लोगों को सलाह मशविरा करना चाहिए तथा टेनेंड और मालिक/कब्जा प्राप्त लोगों हेतु अंतरित अन्य आश्रय आवासों और स्थायी गृहनिर्माण कार्यक्रम की योजना तैयार करने में उनकी प्रतिभागिता होनी चाहिए। आपातकालीन आश्रय आवास से अंतरित अन्य आश्रय आवासों या स्थायी गृहनिर्माण में जाने के लिए कोई भी निर्णय में उनकी पूर्णतः प्रतिभागिता तथा संबंधित लोगों के निर्णय/सलाह से ही होना चाहिए।

क.२.४ स्थान खाली करने के लिए बाध्य किए जाने का कार्य यदि अपरिहार्य हो (देखें अ.१.४) तो सलाह और प्रतिभागिता के बजाय निम्नलिखित सभी गारंटी लागू की जाएँ :

(१) प्रभावित लोगों के साथ वास्तविक परामर्श करने हेतु एक अवसर देना।
(२) स्थान खाली करने की निर्धारित तारीख से पूर्व समुचित और उपयुक्त नोटिस।
(३) स्थान खाली करने से संबंधित पहुँच योग्य फोर्मेट में सूचनाओं को समयानुसार देना तथा जमीन का भावी उपयोग।
(४) स्थान खाली कराते समय सरकारी अधिकारी की उपस्थिति।
(५) स्थान खाली करके जानेवाले सभी लोगों की समुचित रूप से पहचान और पंजीकरण।
(६) स्थान खाली करके जानेवाले सभी लोगों की समुचित पहचान।
(७) खराब मौसम या रात में स्थान खाली करना निषिद्ध।
(८) कानूनी उपाय की व्यवस्था; और
(९) जहाँ आवश्यक हो, न्यायालय से न्याय प्राप्त करने हेतु कानूनी सहायता की व्यवस्था।

क.२.५ स्थान खाली कराना विशेष रूप से स्थान खाली कराने के संदर्भ में तथा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों द्वारा उनके पीछे छोड़ी गई संपत्ति और मालसामान के गौण कब्जे से व्यक्ति के बेघर या अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति असुरक्षित स्थिति में नहीं रहने देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए जाएँ कि जो लोग अपने लिए आश्रय आवास उपलब्ध करने में असमर्थ हों उनके लिए भी पर्याप्त वैकल्पिक आश्रय आवास हों।

क.३ आजीविका और कार्य

क.३.१ आजीविका और रोजगार के अवसरों तक पहुँच तथा आर्थिक कार्यों को बनाए रखने हेतु परियोजनाओं, रोजगार के अवसरों तथा कुदरती विपदा द्वारा नष्ट की गई आजीविका को बिना किसी भी भेदभाव के यथासंभव शीघ्र रूप में पुनः शुरु कराया जाना चाहिए। ऐसे उपाय आपातकालीन कार्य के चरण में पहले ही आरंभ हो जाने चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित रणनीतियाँ विकसित करना कि प्रभावित जनसंख्या के सभ सेक्टरों को पूर्ण रूप से सूचित किया गया है तथा उनकी राय ली गई है तथा वे बरबाद हुई आजीविका के पुनर्वास तथा पुनः प्रशिक्षण विकल्प से संबंधित निर्णय लेने के कार्य में प्रतिभागिता कर सकते हैं।
- प्रभावित जनसंख्या, महिला सहित के सभी क्षेत्रों में पहुँच बनाना सुनिश्चित करते समय, पुनः प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम हेतु औपचारिक तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बुजुर्ग व्यक्तियों जैसे कुछ समूहों की प्रच्छन्न भूमिका प्रायः इसमें शामिल की जाती है।
- देह व्यापार, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, जोरजबर्दस्ती वैश्यावृत्ति कराना या आय के अन्य शोषणपूर्ण या खतरनाक स्रोतों के खिलाफ महिलाओं की रक्षा करने हेतु महिलाओं तथा विशेष जरूरतोंवाले अन्य लोगों को आय सर्जित करने के उपयुक्त अवसर प्रदान करना।

- ❖ यह सुनिश्चित करना कि एच.आई.वी./एड्स जैसी दीर्घकालिक या क्रॉनिक बीमारियोंवाले लोगों, विकलांग लोगों की किसी भी तरह के भेदभाव के बिना रोजगार और प्रशिक्षण अवसरों तक पहुँच होनी चाहिए; और
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवर्तमान सामाजिक या श्रम के स्टीरियो टाइप लिंग आधारित निर्णय लागू न किए जाए जिससे महिलाएँ, बच्चे और सामाजिक, आर्थिक, गैर यहूदी, धार्मिक या नस्लीय अल्पसंख्यक कमवांचित रोजगार केम से कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों में करने को विवश हों।

क.३.२ आजीविका और रोजगार के अवसरों के प्रति पहुँच बनाकर लाभ प्राप्त करनेवाले प्रभावित लोगों की सुरक्षा गलत, अस्वास्थ्यकर तथा असुरक्षित कार्य दर्शाओं से करनी चाहिए।

बाल मजदूरी और गुलामी का आधुक रूप विषयक अ.४.३ भी देखें।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य और सुरक्षा, उचित वेतन और परिवेशगत सौहार्द विषयक अंतरराष्ट्रीय मानकों को अर्थव्यवस्था के क्षत विक्षत, और नुकासनग्रस्त ढाँचे के पुनर्निर्माण/पुनर्वास के सभी प्रयासों में लागू किया जाए तथा प्रभावित लोग इन मानकों से अवगत हों।

क.३.३ शिविरों, सामूहिक केन्द्रों तथा स्थायी पुनर्वास बस्तियों को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित नहीं करना चाहिए जहाँ से प्रभावित लोग अपनी आजीविका और रोजगार के अवसरों से वंचित होते हों।

क

क.४ माध्यमिक उच्चतर शिक्षा

क.४.१ माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा यथासंभव रूप में व्यवस्थाग्रस्त न हो तथा विशेष रूप से जब विपदा के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अधिक समय तक अध्ययन करने से वंचित न रहें।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- ❖ विपदा प्रभावित विद्यार्थियों के लिए विशेष अध्ययन अनुदान देना।
- ❖ विपदा प्रभावित छात्रों की फीस माफ करना या फीस कम करना; और
- ❖ विपदा प्रभावित छात्रों को छूटी हुई परीक्षा को देने रे लिए विशेष परीक्षा समय निर्धारित करना तथा विशेष पाठ्यक्रम चलाना।

समूह-ड :
दस्तावेजीकरण, गतिविधि, परिवारों का पुनर्मिलन, अभिव्यक्ति और राय देने तथा चुनावों से संबंधित अधिकारों का संरक्षण

ड.१ दस्तावेजीकरण

ड.१.१ कुदरती विपदा में खो गए या नष्ट हुए वह व्यक्तिगत दस्तावेज की पहचान और अन्य कार्य के लिए (जैसे–जन्म, शादी और मृत्यु का प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत पहचान पत्र औरह यात्रा का दस्तावेज, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र) व्यक्तियों को यथासंभव शीघ्र रूप में नए बनाकर दिए जाने चाहिए। इस कार्य में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किए जाए :

(अ) जब किसी भी प्रकार के दस्तावेज जारी किए जाएँ तो महिलाओं और पुरुषों को समान रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाओं का दस्तावेज उनके अपने नाम से जारी किए जाने चाहिए।

(ब) बिना किसी के साथवाले, अलग हुए तथा अनाथ बच्चों को दस्तावेज उनके नाम से जारी किए जाने चाहिए; और

(क) गैर नागरिकों के दस्तावेज की जरूरतों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

ड

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- व्यक्तिगत दस्तावेजों के पुनः जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाकर त्वरित रूप में लागू करने की पहल करना तथा ऐसी प्रक्रिया की स्थापना करना (जैसे साक्षी/सामुदायिक नेता/बुजुर्ग/ स्थानीय अधिकारियों को लेकर आना जो कि प्रभावित व्यक्ति और उसके स्थान की पुष्टि कर सके जहाँ विस्थापित व्यक्ति रहता हो; प्रभावित लोगों को दस्तावेज जारी करने/पुनः बनवाने के लिए फीस रद्द करना या फीस में छूट देना); और
- विपदा द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तिगत दस्तावेज जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट या अन्य संबंधित अधिकारी सहित मोबाइल टीम भेजना।

तैयारी संबंधी उपाय :

- व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करना तथा उनके बनाए जाने हेतु संबंधित सूचना प्राप्त करना।

ड.१.२ खोए हुए व्यक्तिगत दस्तावेज उपयोग नहीं किए जाने चाहिए :

(अ) आवश्यक खुराक और राहत सेवाओं की मनाही को न्यायोचित हराने के लिए;

(ब) व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान के लिए यात्रा करने या अपने घर वापस आने के लिए रोकने के लिए;

(क) रोजगार के अवसरों के प्रति उनकी पहुँच बनाने में बाधा डालने के लिए; या

(ड) शिक्षा या आवश्यक स्वास्थ्य की देखभाल जैसी आधारभूत सेवाओं के प्रति पहुँच बनाने के लिए मनाही करने के लिए।

ड.१.३ भूमि टेन्योर और मालिकी को प्रमाणित करनेवाले दस्तावेजों के खोने पर संपत्ति के अधिकार में उनके उपयोग हेतु बाधा नहीं खडी करनी चाहिए। (उपर्युक्त क.१.३ देखें)

ड.१.४ प्रभावित लोगों को मानवतावादी सहायता उपलब्ध करानेवाले संगठनों को मानवतावादी कार्यों के आपातकालीन चरण में जीवनरक्षक वस्तुएँ और सेवाएँ ऐसी सहायता देने के लिए लाभार्थी के पंजीकरण न होने पर भी बिना किसी भी देरी के उन्हें इन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराएँ।

ड.१.५ इस संदर्भ में इकट्ठे किए गए व्यक्तिगत आँकड़ों और रिकॉर्ड को किसी भी तरह के दुरुपयोग होने से सुरक्षित रूप में रखना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- व्यक्तिगत आँकड़ों को कागज पर रखने में सदैव बंद ताले में रखना चाहिए तथा इलैक्ट्रोनिक आँकड़ों को पासवर्ड के साथ रखना चाहिए। तथा इन आँकड़ों का उपयोग सुरक्षित स्थानों पर करना चाहिए (गार्ड की उपस्थिति समेत);
- व्यक्तिगत आँकड़ों को बताने के लिए सखत प्रक्रिया विकसित करना तथा लागू करना तथा उस व्यक्ति की पहचान करना जिसके साथ आँकड़ों से संबंधित चर्चा की जा रही हो; और
- आँकड़े एकत्रित करने के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर आँकड़ों को नष्ट करना।

तैयारी संबंधी उपाय :

- मानवतावादी कार्यकर्ताओं की आँकड़ों के संग्रह करने की नीति होती है तथा मानक व्यावहारिक प्रक्रिया होती हैं।

ड.२ घूमने-फिरने की स्वतंत्रता, विशेष रूप से सहज स्थिति के संदर्भ में [१७]

ड

ड.२.१ प्रभावित लोगों के घूमने-फिरने की स्वतंत्रता का, चाहे वे विस्थापित हुए हों या नहीं, का आदर और रक्षा की जानी चाहिए। इस अधिकार को उनके सभी स्थानों पर आने-जाने के लिए तथा उनके उस क्षेत्र में रहने या खतरे से ग्रस्त क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाने का निर्णय उन पर ही छोड़ा जाना चाहिए। मात्र ऐसे लोगों के सिवाय प्रतिबंध नहीं होने चाहिए जो (१) कानूनन व्यवस्था हो (२) संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा किसी खास उद्देश्य से हो तथा (३) इससे कम रूप में उपाय न हो। बचाकर निकाले जाने के लिए स्थान छोड़कर जाने के मामले में (उपर्युक्त अ.१.३–अ.१.७), अस्थायी पुनर्वास व्यवस्था सर्वथा आवश्यक होने पर ही की जाए।

ड.२.२ आपातकालीन चरण के बाद आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के दीर्घकालीन पुनः प्राप्ति के रूप में समझा जाना चाहिए।

- मूल स्थान पर ('वापस')
- उस क्षेत्र में जहाँ वे शरण लिए हों (स्थानीय 'पुनः प्राप्ति'); या
- देश के अन्य भागों में ('देश में और कहीं बसना')

आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को यह अदिकार दिया जाना चाहिए कि वे अपने मूल स्थान पर लौटना चाहते हों, वे जिस क्षेत्र में विस्थापित हुए हों, वहाँ बसना चाहते हों या देश में कहीं भी बसना चाहते हों। परामर्शन, सूचना अभियान तथा जाने और देखने के दौरे जैसे उचित उपाय इस संबंध में व्यक्तियों को सूचित करने के लिए किए जाने चाहिए।

---

१७ घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण तथा इसके संभावित प्रतिबंध से बचाकर निकालने के लिए स्थान छोड़ना तथा बचाकर निकालना के ऊपर चर्चा की गई हैं (देखें दिशानिर्देश अ.१.४ तथा क.२.४)। ये दिशानिर्देश कुदरती विपदाओं से विस्थापित लोगों के अधिकारों के संबंध में न बनाए जाकर प्राथमिक रूप से बनाए गए हैं अतः उन्हें स्वयं निर्णय करना है कि क्या वे अपने घरों में वापस आना चाहते हैं, स्थानीय रूप से घुल मिलकर रहना चाहते हैं या देश में और कहीं अपना नया जीवन शुरु करना चाहते हैं।

ड.२.३ वापस लौटने, स्थानीय रूप से बसने तथा देश में कहीं भी जाकर बसने के संबंध में शर्तें यथासंभव शीघ्र बनाई जानी चाहिए। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को ये शर्तें अनुकूल होनी चाहिए :

(अ) क्या यह स्थान सुरक्षित है, तंग करने और भयमुक्त और दिक्कत रहित है तथा आगे कुदरती विपदाओं के आने के खतरे से मुक्त है।

(ब) सुरक्षित रूप से लौटने पर समुचित रूप से आवास की सुविधा है तथा पुनर्वास समुचित रूप में संभव एवं उपयुक्त है।

(क) यथासंभव सामाम्य रूप से अपने जीवन कार्य में वापस जुड़ सकते हैं जिसके लिए पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पाठशाला आजीविका, रोजगार, बाजार आदि तक पहुँच भेदभावरहित रूप में हैं।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- वापस लौटने के लिए संबंधित स्थान का सुरक्षा संबंधी आकलन कार्य, स्थानीय समाकलन या देश में कहीं भी बसना।
- लौटने, स्थानीय समाकलन तथा देश में कहीं भी बसने से संबंधित व्यापक और पहुँचयोग्य सार्वजनिक सूचना अभियान तथा जड़मूल संचार रणनीतियाँ बनाना।
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को उनके पुराने घरों या स्थानों को बसने के लिए सूचना देना तथा देश में कहीं भी बसने के लिए मीडिया रिपोर्टों, डाटाबेस, सूचना केन्द्रों जैसी प्रणाली की स्थापना तथा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की देश के भागों में जाने और देखने के लिए दौरो का आयोजन।
- खास जरूरतमंद लोगों की पहचान करना तथा लौटने पर, स्थानीय समाकलन या देश के किसी भी भाग में बसने की योजना बनाना और व्यवस्था करना तथा जहाँ उपयुक्त हों समूह बैठकें तथा अन्य गतिविधियाँ करना।
- योजनाओं का पुनर्निर्माण करना तथा उन्हें प्रकाशित करके व्यापक रूप से क्षेत्रों में प्रचारित प्रसारित करना तथा योजना आयोग की बैठके आयोजित करना जिनमें आम जनता के लिए आने की छूट हो।
- समुचित रूप से गृहनिर्माण, आधारभूत सेवाओं, आजीविका सहित टिकाऊ समाधानों तक पहुँच दिलाने के लिए विशेष जरूरतवाले लोगों के खासकर संबंध में भेगभाव के उदाहरणों की पहचान करना तथा निगरानी करना; और
- स्थानीय समाकलन या देश में कहीं भी बसने में आती दिक्कतों के कानूनी और प्रशासनिक अवरोधों को हटाना।

ड.२.४ प्रभावित लोगों और समुदायों की सहमति के बिना वापस लौटने के स्थायी प्रतिबंधों पर तभी विचार करना चाहिए तथा अमलीकरण करना चाहिए जब वह क्षेत्र रहनेवाले या लौटनेवाले लोगों के लिए जीवन और सुरक्षा की दृष्टि से उच्च जोखिमवाल हो तथा जो उपलब्ध अनुकूलित रूप में विस्थापित नहीं हो सकते तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को अपना नहीं सकता। इस तरह के निषेधों को निम्नलिखित स्थितियों में सम्मान किया जाना चाहिए :

(अ) यह कानूनन व्यवस्था हों,

(ब) प्रभावित लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा हों,

(क) इस निर्णय के कारणों और प्रक्रिया से प्रभावित लोगों को सूचित किया गया हों,

(ड) पुनः स्थापन के सभी चरणों में गृहनिर्माण किए जानेवाले स्थान के चयन करने से लेकर सेवाओं और आजीविका तक पहुँच के बारे में सभी प्रभावित लोगों से परामर्श किया गया हो तथा उन्हें इन निर्णयों और उनके अमलीकरण में प्रतिभागिता करने के अवसर दिए गए हों, और

(इ) प्रभावित लोगों को देश के किसी अन्य हिस्से में बसने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अवसर दिए जाते हैं:

- प्रस्तावित स्थल विपदा के गौण प्रभावों के खतरे में तो नहीं है तथा आगे की विपदाओं से सुरक्षित है; तथा
- ऐसे स्थल पर सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से समुचित उपयुक्त गृहनिर्माण, पानी, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा; आजीविका और रोजगार; बाजार आदि भेदभाव के बिना पहुँच उपलब्ध हैं।

ड

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते है :

- ऐसे स्थान पर लौटने या बसने के लिए बाध्य प्रभावित व्यक्तियों की ओर से पहल करना जहाँ उनका जीवन, सुरक्षा, स्वतंत्रता और/या स्वास्थ्य को जोखिम हो;
- लोटने के प्रतिबंध का सामना करनेवाले प्रभावित व्यक्तियों की ओर से पहल करना कि यह अंतरराष्ट्रीय मानकों या पुनः स्थापन बाध्यता के अनुसार नहीं है;
- ऐसे लोगों को प्रभावी कानूनी उपाय और मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करना; और
- यह सुनिश्चित करने के लिए विपदा के बाद की बस्तियाँ या पुनः स्थापन की देखभाल करना कि वे किसी अन्य भीड़भाड़वाले स्थान पर तो नहीं है तथा आगे राजनीतिक, फौजी या आर्थिक रूप से लोगों की सुरक्षा को खतरो तो नहीं है।

ड.२.५ घूमने फिरने की स्वतंत्रता को परिसीमित करने के सभी मामलों में विशेष रूप से जैसा कि ड.२.१-ड.२.५ में दिया गया है, प्रभावित लोगों को इस तरह की प्रभावी कानूनी गारंटी प्रदान की जाए जो कि समुचित प्रक्रिया की गारंटी युक्त हो तथा इसमें सुने जाने का अधिकार तथा किसी स्वतंत्र अदालत या ट्रिबुनल में तथा मुआवजा पाने समेत व्यवस्था हो।

ड.३ पारिवारिक जुड़ाव की स्थापना

ड.३.१ राहत कार्यों को पारिवारिक एकता के बरकरार रखने हेतु रूप में डिजायन किया जाना चाहिए। आंतरिक रूप से विस्थापित परिवारों के वे सदस्य जो एक साथ रहना चाहते हैं, उन्हें विपदा कार्यों के सभी चरणों में एक साथ रहने के लिए सहायता दिए जाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए तथा उनके अलग होने को रोका जाना चाहिए।

ड

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते है :

- सहायता का आयोजन इस ढंग से करना जिससे उत्कृष्ट सहायता के लाभों को प्राप्त करने की उम्मीद करते हुए परिवारों के अलगाव रोकने में प्रोत्साहन मिले। विशेष रूप से खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं को इतनी पर्याप्त मात्रा में वितरित करना चाहिए जिससे बड़े परिवारों को समुचित मात्रा में वस्तुएँ प्राप्त हो सकें; और
- जिन स्थानों पर आंतरिक रूप से विस्थापित लोग छोड़कर पहुँचते हैं उन स्थानों पर शिक्षा तक पहुँच की व्यवस्था होनी चाहिए।

तैयारी संबंधी उपाय :

- राहत और आनुषंगिक योजना बनाते समय परिवारों के सदस्यों का पता लगाना।

ड.३.२ प्रभावित लोगों की उनके खोए हुए संबंधियों का पता लगाने तथा उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देकर सहायता की जानी चाहिए। खोजबीन की प्रगति के संबंध में संबंधित व्यक्ति के निकट संबंधी को सूचित किया जाना चाहिए तथा पता लगाने की सेवाओं या प्रणाली के उपयोग के द्वारा प्राप्त परिणामों को उन्हें बताना चाहिए। यदि वे चाहें तो परिवारों का पुनर्मिलन कराना चाहिए और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के संबंध में यह कार्य किया जाना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- आपातकाल में प्रारंभ से त्वरित रूप से परिवार की खोजबीन करने और पुनर्मिलन की प्रक्रिया की स्थापना तथा परिवारों की खोज और पुनर्मिलन के लिए जवाबदार प्रमुख संस्था या संगठन की पहचान करना। अधिकांश मामलों में यह कार्य इंटरनेशनल कमिची ऑफ रेड क्रॉस (आई.सी.आर.सी.) या नेशनल रैड क्रॉस या रैड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा किया जाता हैं। प्रमुख संस्था के साथ समन्वय कार्य प्रोत्साहित करना तथा समुचित प्रणाली की स्थापना करना और मुख्य संस्था या संगठन हेतु पंजीकरण ब्यौरो की अंतरित प्रतियों के लिए फोर्मेट और खोज लगाने हेतु अनुरोध।

- जो व्यक्ति विपदा में अपने खोए हुए रिश्तेदारों यो मित्रों की खोज कराना चाहते है उनसे उनकी खोए हुए लोगों की निश्चित संख्या, उम्र, लिंग के बारे में व्यापक जनगणना या पंजीकरण प्राप्त करना।
- जो अपने खोए हुए रिश्तेदारों का पता लगवा रहे हों, उनसे खोए हुए लोगों के उपलब्ध फोटो और वीडियो रिकोर्डिंग प्राप्त करना।
- परिवार से बिछुड़े हुए व्यक्तियों के संबंध में विशेष रूप से अकेले बिछुड़े हुए बच्चों और उनके पता लगाने के संबंध में संवेदनशील व्यक्तिगत आँकड़ों के संबंध में लोक संचार रणनीतियों को विकसित करना और उन सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना। इनमें इन्हें शामिल किया जा सकता है : बुलेटिन बोर्ड में फोटो लगाना, शिविर और सामुदायिक सभाओं में, टी.वी. और रेडियो प्रसारणों और समाचार पत्र के विज्ञापन, व्यापक प्रचार प्रसार के लिए परिवार के सदस्यों के फोटोवाली बुलेटिनें या लीफलैट ढूँढ़ने के लिए तैयार करना तथा टैक्स मैसेज प्राप्त करने के लिए सेल फोनों का वितरण करना;
- व्यापक रूप से खोजी पद्धति का उपयोग करना। उपर्युक्त रणनीतियों के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया जा सकता है : उन प्रोढ़ों के साक्षात्कार लेकर जिनके बच्चे खोए हुए हों, बच्चे जिस स्थान से आने के बारे में बताएँ उन स्थानों पर उन्हें ले जाकर तथा प्रभावित जनसंख्या द्वारा समझी जानेवाली भाषा और उनके तरीकों के अनुसार परिवार संदेश सेवा का संगठन करके;
- एक बार जब परिवार के सदस्यों की पहचान हो जाए तो परिवार के सदस्यों की इच्छा के अनुसार यथासंभव शीघ्र तथा समुचित रूप में अनावश्यक नौकरशाही विलंब या बाधाओं से बचते हुए परिवार का पुनर्मिलन कराना;
- बच्चों के मामले में यह सुनिश्चित करना कि पारिवारिक संबंध वैध हैं तथा पुनर्मिलन से पूर्व बच्चे और उसके परिवार के सदस्यों की सहमति लेना जरूरी है; तथा
- जहाँ जरूरी हो पुनः सम्मिलित हुए परिवारों तथा जो परिवार के सदस्य अब भी अलग-अलग हों, उनके लिए मनोसामाजिक और सामग्री की सहायता उपलब्ध कराना।

ड

ड.३.३ विमुक्त और बिना किसी के साथवाले अकेले बच्चों की उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन न हो जाने तक देखभाल की जानी चाहिए। सभी अंतरिम देखभाल करने के इंतजाम बच्चों के हित में होने चाहिए। बच्चों को अंतरिम देखभाल इंतजामों और उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सूचित करना चाहिए तथा केयरटेकर के संबंध में उनकी राय ली जानी चाहिए। अंतरिम देखभाल करने के दौरान भाई-बहन को एक साथ रखना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- विपदा आने के तुरंत बाद अलग-थलग हुए तथा बिना किसी के साथवाले अकेले बच्चों की पहचान करने तथा उनकी खास जरूरतों के बारे में जानने तथा प्रवर्तमान देखभाल के इंतजाम का आकलन करने के लिए त्वरित आकलन आयोजित करना बिना किसी के साथवाले अकेले और अलग थलग हुए बच्चों के बारे में विवरण पंजीकरण कार्य में शामिल करने चाहिए।
- आपातकाल के आरंभ से ही अलग हुए तथा बिना किसी के भी साथवाले अकेले बच्चों को उनके परिवारों के साथ पुनः मिलाने के लिए त्वरित पंजीकरण, परिवार का पता लगाने तथा पुनर्मिलन की कार्यविधि की स्थापना करना;
- केस प्रति केस आधार पर समुचित और समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए ट्रियेगिंग केसों पर बल देना चाहिए। बालक प्रधान परिवार तथा अलग हुए बिना किसी के साथवाले बच्चों की पहचान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि पहले ही घोर उल्लंघन के शिकार हुए हैं (जैसे भर्ती, अपहरण, लिंग आधारित हिंसा);
- अन्य पंजीकरण के कार्यों में बिना किसी के साथवाले अकेले तथा अलग हुए बच्चों की पहचान के लिए संबंधित प्रश्न शामिल करना;

- जो बच्चे चिकित्सकीय रूप से किसी स्थान से लाए जए हों उनके बारे में समुचित कागजात, देखभाल तथा अलग हुए और बिना किसी के साथवाले अकेले बच्चों संबंधित अन्य सूचनाएँ;
- जब बच्चे किसी भी जीवित परिवार जन का पता न चले तो अलग हुए तथा अकेले बच्चे की देखभाल का जिम्मा यथासंभव रूप में उसके मित्रों, पड़ोसियों द्वारा बच्चे की इच्छा के आधार पर केयरटेकर के रूप में लिया जाना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित और गहन देखभाल तथा अंतरिम देखभाल इंतजाम की समीक्षा करना कि अलग-थलग हुए और अकेले बिना किसी के साथवाले बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल हो तथा उन्हें किसी भी तरह के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन दुराचार या शोषण से सुरक्षित किया जा सके। दुराचारपूर्ण या शोषणपूर्ण अंतरिम देखभाल स्थितियों से बच्चों को तुरंत सुरक्षित रूप में निकालने की व्यवस्था करके उनका वैकल्पिक समाधान ढूढ़ा जाना चाहिए।
- अलग हुए या अकेले बिना किसी के साथवाले बच्चों को अनाथालयों या बालगृहों में रखने से बचना बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इस तरह से रखे जाने का कार्य अधिक टिकाऊ रूप में समुदाय आधारित निराकरण के माध्यम से अस्थायी रूप में अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए तथा यह कार्य इस रूप में तभी किया जाए जब अन्य सारे विकल्प न हों। बच्चे के प्लेसमेंट से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की सावधानीपूर्वक देखभाल तथा रिकॉर्ड रखने का कार्य आवश्यक रूप में किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना कि अलग हुए तथा बिना किसी के साथवाले बच्चों के सभी आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण, पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जमीन का मालिकाना हक आदि उसके नाम से ही बनाए जाएँ तथा
- यह सुनिश्चित करना कि अलग हुए और बिना किसी के साथवाले अकेले बच्चों की पहुँच विपदा के बाद दी जानेवाली सामग्री, वित्तीय और कानूनी सहायता में समान रूप से हो। विशेष रूप से, अलग हुए तथा बिना किसी के साथवाले अकेले बच्चों या उनके कानूनी अभिभावकों को मृतक लापता या घायल हुए परिवार के सदस्यों, पुनर्वास और गृहनिर्माण भत्ते, भूमि का मालिकाना हक तथा मुआवजो के सरकारी लाभ के दावे प्रस्तुत करने के अवसर दिए जाने चाहिए।

ड

ड.३.४ दत्तक लिए जाने की प्रक्रिया उसी स्थिति में की जानी चाहिए जब बच्चों के परिवारजनों की तलाश करने के सारे प्रयत्न निष्फल रहे हों तथा परिवार के पुनर्मिलन की कोई भी संभावना न हो या उनके माता-पिता ने हेग संमेलन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बच्चों के दत्तक लेने की सहमति व्यक्त की हो[१८]। माता-पिता की सहमति तथा दूसरे अभिभावकों की सहमति संस्था तथा प्राधिकरण के दत्तक हेतु आवश्यक है। अतः इसके बारे में सूचित करना चाहिए। बच्चों के देशवासियों के संबंधियों द्वारा दत्तक लिए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ यह विकल्प उपलब्ध न हो तो समुदाय के अंदर ही दत्तक लिए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे बच्चा अपनी संस्कृति में पले बढ़े।

तैयारी संबंधी उपाय :

- समुदाय के अंदर अंतरिम देखभाल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया फोस्टर केयर, अतिरिक्त सामग्री दिए जाने, यथावश्यक रूप में वित्तीय और सामाजिक सहायता देने हेतु प्रबंधन करना; और
- वैकल्पिक इंतजाम की पूर्व पहचान या तो परिवार के साथ या संस्थाओं के साथ तथा देखभाल प्रणालियों की पूर्व पहचान।

---

१८ अंतरराष्ट्रीय दत्तक के संबंध में बच्चों की सुरक्षा विषयक हैग संमेलन और सहयोग, हैग दत्तक संमेलन, २९ मई, १९५३।

ड.४ अभिव्यक्ति, सभा और परिषद तथा धर्म

ड.४.१ प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को विपदा राहत और पुनरुत्थान कार्यों के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने तथा शिकायतें लेने, या शिकायत निवारण के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें इस तरह से अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विपरीत प्रतिक्रिया के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रभावित व्यक्तियों को शांतिपूर्ण ढंग से सभाएँ आयोजित करने या इसके लिए परिषदें बनाने हेतु अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- महिलाओं, बच्चों, नवयुवकों तथा हाँशिए पर स्थित या अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों समेत प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनः प्राप्ति के संबंध में अपनी चिंता और राय व्यक्त करने के लिए आवाज उठाने हेतु प्रणाली और क्षमता निर्माण करना और
- जहाँ लोगों के विचारों अभिव्यक्ति और सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हुआ हो उन घटनाओं की देखभाल, अहवाल और जाँच करने की विशेष तकनीक स्थापित करना तथा जहाँ लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों को प्राप्ति के लिए दंडित किया गया हो या दुर्व्यवहार किया गया हो, इस संबंध में जाँच करना। ऐसे मामलों में कानून लागू करनेवाले निकायों द्वारा समुचित कार्रवाई सुनिश्चित कराना।

ड.४.२ लोगों के धार्मिक आस्था विश्वासों और रीति रिवाजों का पूर्णतः आदर किया जाना चाहिएअ तथा योजना बनाने और मानवतावादी सहायता देने के अमलीकरण में, आहार सहायता, स्वास्थ्य की देखभाल सुविधाओं, रहन सहन और सफाई के इंतजामों में इनका पालन किया जाना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी कि जा सकते हैं :

- मानवतावादी कार्यों के दौरान यथासंभव रूप से लोगों के आस्था विश्वासों, रीति रिवाजों, धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का पूर्णतः सम्मान करने के लिए धार्मिक नेताओं और बुजुर्गों के साथ सलाह मशविरा करना;
- पैकेज वितरण में सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य आहार और गैर आहार वस्तुओं को शामिल करने से बचना; और
- यह सुनिश्चित करना कि सेवाओं की व्यवस्था और प्रबंधन करना वहाँ लिंग संवेदनशील होता है जहाँ अलग□अलग लिंग के अनुसार अलगाव होता है।

ड.४.३ प्रभावित लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार रहने के अवसर देने चाहिए जिससे उसके और दूसरों के अधिकारों का सम्मान होता हो तथा ऐसा करने से भेदभाव, शत्रुता या हिंसा न होती हो।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- विपदा से विस्थापित हुए लोगों के लिए शिविरों, सामूहिक केन्द्रों तथा स्थायी पुनर्वास बस्तियों के स्थलों की तलाश करते समय उनके प्रवर्तमान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक भवनों के पास के इलाके की पहचान करनी चाहिए। जहाँ ये सुविधाएँ न हों, वहाँ इन सुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिए; और
- प्रवर्तमान धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, विशेष रूप से देशी गैर यहूदी या धार्मिक अल्पसंख्य वर्ग के स्थलों की रक्षा करना।

ड.५ चुनाव विषयक अधिकार

ड.५.१ प्रभावित लोगों को चाहे विस्थापित हों या न हों, चुनाव में मत देने तथा चुने जाने का अधिकार पूर्णतः रूप में दिया जाना चाहिए।

अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य भी किए जा सकते हैं :

- प्रभावित लोगों, चाहे वे विस्थापित हुए हों या न हुए हों, मतदाता पंजीकरण, मतदान तथा कार्यालय चलाने के लिए अवसर देने के लिए संगठित करना चाहिए। यह कार्य मोबाइल पंजीकरण और मोबाइल पुलिस स्टेशन का उपयोग करके किया जा सकता हैं; तथा
- विस्थापित लोगों द्वारा अनुपस्थित मतदान की प्रक्रिया का उपयोग करके या उन्हें इसके लिए अनुमति देकर, विशेष रूप से दीर्घकालीन विस्थापन के संबंध में, उन मतदाताओं का पंजीकरण उस स्थान पर करना जहाँ वे अस्थायी रूप से रह रहे हों।

परिशिष्ट-१ : शब्दावली

व्यावहारिक दिशानिर्देशों के लिए निम्नलिखित शब्दों का उपयोग किया गय है।

मानवतावादी कार्य करने में योगदान देनेवाले कार्यकर्ता :
आपातकालीन चरण में तथा उसके बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध करानेवाले अंतर सरकारी और (अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय/स्थानीय) गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के या सरकारी या अर्ध सरकारी विपदा कार्यकर्ता।

प्रभावित लोग :
विशेष प्रकार की विपदा के नकारात्मक परिणामों से पीड़ित होनेवाले लोग चाहे वे विस्थापित हुए हों या न हों, उदाहरण के लिए विपदा के कारण यदि वे बहुत घायल हुए हों, उनकी संपत्ति या आजीविका को नुकसान पहुँचा हो या अन्य नुकसान हुआ हो।

शिविर :
विपदा की घड़ी में बचाकर निकाले गए लोगों/विस्थापित लोगों के सामूहिक और सामुदायिक निवास के लिए उपयोग में गैर स्थायी आश्रय आवासों (जैसे तंबु) के रूप में नई बनाई गई जगह। शिविरों आयोजित रूप में (जैसे उद्देश्यपूर्ण ढंह से बनाए गए स्थान, घटना के घटित होने के दौरान या पहले बनाए गए) या स्वयं निर्मित (जैसे सरकार या मानवतावादी समुदाय की सहायता के बिना अपने प्रयासों से निर्मित) शिविर सामूहिक आश्रय आवास के प्रकार के रूप में होते हैं (देखें नीचे)।

सामूहिक केन्द्र :
विपदा की घड़ी में बचाकर निकाले गए / विस्थापित लोगों के लिए पहले से प्रवर्तमान भवनों और ढाँचों का उपयोग करके बनाए गए सामूहिक और गैर स्थायी आवास।

सामूहिक आश्रय आवास :
ऊपर पारिभाषित रूप में शिविर और सामूहिक केन्द्र।

विपदा/आफत :
एक भयानक विपत्ति की स्थिति जिसमें समुदाय या समाज को व्यापक रूप से मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणगत नुकसान होता है जो कि प्रभावित समुदाय या समाज के अपने संसाधनों का उपयोग करने के उनके अस्तित्व के लिए पार पान संभव नहीं होता।[१]

विपदा/आपातकालीन प्रबंधन :
सभी प्रकार की आपात स्थिति, विशेष रूप से तैयारी करने, अनुक्रिया करने तथा आरंभिक पुनः प्राप्ति के कदम उठाने के रूप में उपाय करने हेतु संसाधनों और जवाबदारियों का संगठन और प्रबंधन।[२]

---

१ विपदा कम करने की अंतरराष्ट्रीय रणनीति (आई.एस.डी.आर.) यू.एन.आई.एस.डी.आर. की विपदा जोखिम कम करने से संबंधित शब्दावली, www.unisdr.org/eng/library/UNISDR-terminology-2009.eng.pdf पर उपलब्ध।

२ विपदा कम करने की अंतरराष्ट्रीय रणनीति (आई.एस.डी.आर.) यू.एन.आई.एस.डी.आर. की विपदा जोखिम कम करने से संबंधित शब्दावली, www.unisdr.org/eng/library/UNISDR-terminology-2009.eng.pdf पर उपलब्ध।

भेदभाव :
नुकसानदायक व्यवहार जो कि व्यक्ति की प्रजाति, रंज, लिंग, भाष, धर्म, राजनीतिक या अन्य विश्वासों, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, आयु विकलांगता, या अन्य स्थिति के आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ और गंभीर कारणों के आधार पर (जैसे विशिष्ट असुरक्षित स्थिति, दूसरे लोगों द्वारा शेयर न जानेवाली खास जरूरतें) होने की अपेक्षा यदि संबंधित व्यक्ति उनसे परिपूर्ण हे तो ये मानदंड लागू नहीं होते।

विस्थापन प्रभावित समुदाय :
ऐसे समुदाय जो कि विस्थापन के नकारात्मक परिणाम भुगतते हैं, या तो उन्हें अपने घरों से भाग जाने के लिए विवश होना पड़ता है या फिर उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के रूप में अतिथि बनाना पड़ता है या उन्हें पहले विस्थापित ऐसे लोगों को शामिल या प्राप्त करना होता है जो कि अपने घरों को वापस लौटते हैं या देश में अन्य कहीं स्थायी होते हैं।

टिकाऊ समाधान :
आंतरिक विस्थापन के संबंध में ऐसी स्थिति जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को अधिक समय तक कोई विशेष सहायता या संरक्षण की जरूरत नहीं होती जो कि उनके विस्थापन से जुड़ी हो तथा वे अपने विस्थापन की वजह से बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों का उपभोग करते हैं। इसकी निम्नलिखित रूप में प्राप्ति की जा सकती हैं :

(१) मूल स्थान पर पुनः समाकलन करने के माध्यम से (इसके बाद इसे 'वापसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।)
(२) ऐसे क्षेत्रों में टिकाऊ स्थानीय समाकलन जहाँ आंतरिक रूप से विस्थापित लोग शरण लेते हैं (स्थानीय समाकलन); या
(३) देश के अन्य भागों में टिकाऊ समाकलन (देश में अन्य स्थानों पर बसना)। यह विपदा प्रभावित लोगों पर भी लागू किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार (किसी व्यक्ति के घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा किसी के निवास पसंद करने की स्वतंत्रता, आंतरिक विस्थापन के दिशानिर्देशक सिद्धांत) सभी समाधान स्वैच्छिक होने चाहिए, जैसे संबंधित व्यक्तियों के सूचित निर्णय और मुक्त चयन के आधार पर होने चाहिए।

बचाकर निकालना :
"लोगों के व्यक्तिगत रूप में या समूहों के रूप में एक क्षेत्र/स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी सुरक्षा, रक्षा और भले के लिए अंतरित करने के लिए ले जाना"[३] यदि बचाकर निकाले जाने का कार्य प्राधिकरण द्वारा आदेश देकर और/या बाध्य रूप में किया जाए तो इसे बाध्य रूप में कहा जाता है। बाध्य रूप में किया गया बचाकर निकाले जाने का कार्य मनमाना या गैर कानूनी नहीं माना जाता तथा इस तरह यह अत्यावश्यक होने पर लोगों के जान-माल, स्वास्थ्य और प्रभावित लोगों की भौतिक संप्रभुता के लिए कानूनन किया गया हो तो इसे करने की अनुमति है लेकिन इसे संबंधित प्रभावित लोगों के समुचित परामर्शन के बाद आपातकालीन कार्य के रूप में किया जाना चाहिए।

बचाव कार्य केन्द्र :
बचाकर निकाले गए लोगों के अस्थायी आवास केलिए उपयोग किए जानेवाले सामूहिक केन्द्र (ऊपर देखें)।

परिवार का पुनः मिलन :
परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया विशेष रूप से बच्चों और आश्रित बुजुर्गों को उनके परिवार या पूर्व देखभाल करनेवालों के साथ तथा इस तरह से उनकी दीर्घकालीन देखभाल स्थापित या पुनः स्थापित की जाती है।[४]

---

३ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए हैंडबुक, मार्च, २०१०, पृष्ठ-५०३
४ हैंडबुक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, मार्च, २०१०, पृष्ठ-५०३, इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप ऑन एन एकम्प्लीड एन्ड सेपरेटेड चिल्ड्रन, इंटर एजेंसी गाइडिंग प्रिंसीपल्स ऑन एन एकम्पनीड एन्ड सेपरेटेड चिल्ड्रन, जनवरी, २००४

बाध्यकारी रूप में स्थान खाली कराना :
व्यक्तियों, परिवारों और/या समुदायों को उनकी इच्छा के खिलाफ उनके घरों और/या जमीन से स्थायी या अस्थायी रूप से निकालना तथा यह सब बिना किसी कानूनी या अन्य सुरक्षा या समुचित रूप में किसी पहुँच या व्यवस्था के करना।[५] बाध्यकारी रूप में स्थान खाली कराने की धारणा अंतरराष्ट्रीय अधिकार संधि के उपबंधों के साथ कानूनन जंग के रूप में लागू नहीं होती है।[६] बाध्यकारी रूप में स्थान खाली करने का अर्थ है यादृच्छिक रूप से विस्थापन पर यह इसकी ओर पहला कदम होता है।

लिंग आधारित हिंसा :
हिंसा किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके लिंग या लैंगिकता के आधार पर होती है तथा इस तरह के कार्य में शारीरिक, मानसिक, यौनिक नुकसान या पीड़ा ऐसे कार्य करने की धमकी चिंता तथा अन्य यादृच्छिक कार्य शामिल होते है जिनमें पीड़ित व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित होता है। इसमें परिवार के अंदर सामान्य समुदाय या राज्य और संस्थाओं द्वारा शारीरिक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा होने को शामिल किया जाता है।[७]

अतिथि समुदाय :
एक समुदाय जो सीमित संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को शिविरों, सामूहिक केन्द्रों, अनौपचारिक बस्तियों या प्रत्यक्ष रूप से समाकलित घरों में अतिथि के रूप में रखता है।[८]

आंतरिक रूप से विस्थापित लोग :
व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो कि अपने घर, स्थायी आवास, निवासस्थान, सशस्त्र संघर्ष से बचने, सामान्य हिंसा की स्थितियों, मानव अधिकारों के उल्लंघन होने या कुदरती या मानव सर्जित विपदाओं के कारण विवश हुए हैं तथा जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय रूप में मान्य देश की सीमा पार नहीं की है।[९]

आजीविका :
जीने के लिए जरूरी कार्य करना या संसाधनों का उपयोग करके जीवन निर्वाह करना। ये संसाधन व्यक्तिगत कौशल और योग्यता (मानव पूँजी) जमीन, बचत और औजार (प्राकृतिक, वित्तीय और भौतक पूँजी) और औपचारिक सहायता समूहों या अनौपचारिक नैटवर्क जिससे किए गए कार्य आगे बढ़ते हों (सामाजिक पूँजी)।[१०]

कुदरती विपदा :
विपदाएँ जो कि कुदरती विपदाओं के शुरु होने से अचानक पैदा होती हों। 'कुदरती विपदा' शब्द का प्राकृतिक आफतों के अनाचक आनेवाले भयानक प्रभाव के रूप में प्रयुक्त होता है जिसके प्रत्यक्ष प्रभाव लोगों के कार्यों पर पड़ते हैं। ये व्यावहारिक दिशानिर्देश विपदाओं के त्वरित रूप में शुरु होने को ध्यान में रखकर किए गए हैं लेकिन ये दिशानिर्देश अन्य प्रकार की विपदाओं पर भी लागू किए जा सकते हैं।

---

५ वही, यू.एन., सी.ई.एस.सी.आर., सामान्य टिप्पणी, सं. ७, समुचित आवास का अधिकार : बाध्यकारी रूप में स्थान खाली करना, २० मई, १९९७, अनुच्छेद-३

६ देखें बेजिक प्रिंसीपल्स एन्ड गाइडलाइंस ऑन डिवलपमेन्ट बेस्ड इविक्शन एन्ड डिस्प्लेसमेंट, यू.एन. दस्तावेज ए/एच.आर.सी./४/१८, पैरा-४ और फुटनोट

७ हैंडबुक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नली डिस्पेल्स्ड पर्सन, मार्च, २०१० पृष्ठ-१६८, देखें यू.एन. सामान्य सभा, महिलाओं के खिलाफ हिंसामुक्त होने की घोषणा, आर्टीकल-१, और २ ए/आर.ई.एस./४८य१०४, २०, दिसंबर, १९९३

८ देखें, हैंडबुक फॉर ज प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, मार्च, २०१०, पृष्ठ-५०४

९ देखें, गाइडिंग प्रिंसीपल्स ऑन इन्टरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, ई/सी.एन./४/१९९८/५३/एडीडी.२ (१९९८) क्षेत्र और उद्देश्य

१० हैंडबुक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन, मार्च, २०१०, पृष्ठ-५०८, प्लेसमेंट फॉर इंटरनेशनल डिवलपमेन्ट, सस्टेनेबल लाइवलीहूड गाइडेंस शीट्स, २००१

खास जरूरतमंद व्यक्ति :
खतरे से प्रभावित लोग सामान्य जीवन जी रहे लोगों की अपेक्षा उनके लिंग, आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, विकलांगता, अल्पसंख्यक वर्ग से संबद्धता, विशेष सामाजिक स्थिति, देशी लोग या आंतरिक विस्थापन की वजह से अन्य विशिष्ट स्थितियों में वे अपने आपको अधिक जोखिमपूर्ण स्थिति में पाते हैं।

सुरक्षा :
ऐक ऐसी संकल्पना जिसमें व्यक्ति अपने सभी कार्यों में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों (जहाँ लागू हों), शरणार्थी और मानवतावादी कानून की धारणा के अनुसार दायरे में आता हो। सुरक्षा में ऐसा वातावरण निर्मित करना होता है जिसमें मनुष्य के किसी भी प्रकार के शोषण, दुराचार या उसकी प्रतिष्ठापूर्ण सम्मानजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए क्षतिपूर्ति, पुनः प्रतिष्ठा और पुनर्वास के माध्यम से सम्मानजनक स्थिति का निर्माण किया जाता है।[११]

पुनः स्थापन :

(अ) अस्थायी पुनर्वास :
बचाकर निकाले गए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय तक रखने की क्रिया जब तक वे अपने घरों में वापस न लौटे या देश में अन्यत्र न बसें;

(ब) स्थायी पुनर्वास :
लोगों को किसी स्थान या देश में बसने के लिए ले जाने की क्रिया जहाँ से वे अपने आवासों या घरों को न लौट सकें। पुनर्वास स्थल स्वैच्छिक होने चाहिए जैसे संबंधित प्रभावित या बाध्य व्यक्ति की सहमति से, जैसे ऐसे व्यक्तियों की इच्छा के खिलाफ। पुनर्वास का कार्य तभी सफल हो सकता है जब वह टिकऊ समाधान के रूप में हो तथा देश में कहीं भी हो।

मुआवजा/क्षतिपूर्ति :
क्षतिपूर्ति, मुआवजा., पुनर्वास, मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के लिए अपरावर्ती रूप में उनके संतोष और गारंटी के रूप में होना चाहिए। पीड़ित को संबंधित सूचना, क्षतिपूर्ति प्रणाली तथा समान और प्रभावी पहुँच के रूप में क्षतिपूर्ति के संबंध में देना।[१२]

कुदरती विपदा का गौण प्रभाव :
कुदरती विपदा के गौण प्रभाव में भारी वर्षा या भूकंप द्वारा भूस्खलन जैसे कुदरती और भौतिक प्रभावों को शामिल किया जा सकता है। इनका प्रभाव औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आधारभूत ढाँचे पर भी आरंभिक विपदा के रूप में हो सकता है; जैसे हाइड्रो बाँध को नुकसान या पाइप लाइनों और रासायनिक फैक्टरियों को नुकसान जिसके कारण खतरनाक सामग्री रिस सकती है जिससे मानव स्वास्थ्य और जीवन को खतरा पैदा हो सकता है।

---

११ ओ.सी.एच.ए., सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में मानवतावादी शब्दावली, २००३

१२ बहस के तौर पर वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कस्टमरी कानून के तहत क्षतिपूर्ति मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन में होती है (देखें अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून और मानवतावादी कानूनों को घोर उल्लंघन के पीड़ितों के लिए उपाय और क्षतिपूर्ति के अधिकार से संबंधित दिशा निर्देशक सिद्धांत, ए/आर.ई.एस./६०/१४७, २१ मार्च, २००६) कम गंभीर मामलों में क्षतिपूर्ति दिलाने की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संमेलन से की जा सकती है।

परिशिष्ट-२ :
लोगों के विशिष्ट समूहों का संरक्षण संदर्भित दिशानिर्देशों के प्रति संदर्भ

कुछ खास लोगों के समूह विशेष रूप से असुरक्षित स्थिति में होते हैं और/या आफत की स्थिति में उनकी खास जरूरतें होती हैं। विशिष्ट मानव अधिकारों की चिंता इन समूहों को होती है तथा उनमें से कुछ व्यावहारिक कदम उनकी सुरक्षा के लिए उठाए जा सकते हैं जो कि इन दिशानिर्देशों में पद्धति के रूप में दिए गए हैं। इस परिशिष्ट में निम्नलिखित समूहों के लिए संबंधित दिशानिर्देशों के प्रति संदर्भ दिए गए हैं : आंतरिक रूप से विस्थापित लोग महिलाएँ, बच्चे और नवयुवक, बुजुर्ग लोग, विकलांग लोग, एच.आई.वी./एड्सवाले लोग, बगैर पारिवारिक सहायतावाले एकल अभिभावकवाले घर या बाल प्रमुख घर, गैर यहूदी अल्पसंख्यक समूह और अन्य लोग।

१. आंतरिक रूप से विस्थापित लोग

दिशानिर्देश :

१.१ गैर भेदभाव
१.६ आंतरिक विस्थापन के दिशानिर्देशक सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों का इलाज
१.८ आकलित की गई जरूरतों के आधार पर सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्राथमिकता
अ.१.१ सन्निक्त जोखिमोंवाले व्यक्तियों के जीवन, भौतिक अखंडता और स्वास्थ्य की रक्षा
अ.१.२–अ.१.८ स्थान खाली कराकर निकालना (स्वैच्छिक और बाध्य)
अ.२ परिवारों के बिछुड़ने के खिलाफ तथा अलग हुए/बिछड़े बच्चों की सुरक्षा
अ.३ कुदरती विपदाओं के गौण प्रभाव से सुरक्षा
अ.४.१ आपातकाल में तथा उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में रहते समेत हिंसा के खिलाफ सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना
अ.४.२ लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सुरक्षा
अ.५.१–अ.५.३ अतिथि परिवारों, समुदायों, शिविरों या सामूहिक केन्द्रों में सुरक्षा
ब.१.१–ब.१.३ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की समुचित व्यवस्था तथा उन तक लोगों की पहुँच होना
ब.२.१ खाद्यान्न के लिए समान पहुँच
ब.२.२ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में पानी और सफाई
ब.२.३ बाहरी शिविर समेत आई.डी.पी. के लिए सुरक्षित और प्रतिष्ठापूर्ण आश्रय आवास
ब.२.४ आवास सुविधाए के लिए उपयोग न होनेवाले मकानों को लेना
ब.२.५ स्वास्थ्य सुविधा के प्रति समान अवसर
ब.२.६ विस्थापित बच्चों की दुबारा से पाठशाला में भेजने की सुविधा
क.१.२ पीछे छूटी हुई संपत्ति की सुरक्षा
क.२.१–क.२.५ जगह छोड़कर निकाले जाने के मामले में गारंटी सहित पर्याप्त आश्रय आवास
क.३.३ शिविरों और स्थल का स्थान और आजीविका तक पहुँच

ड.१.१ दस्तावेज की कमी के कारण घरों में लौटने के लिए न रोका जाना
ड.२.१–ड.२.५ टिकाऊ स्थिति के संदर्भ में इधर उधर घूमने, आने जाने की स्वतंत्रता
ड.३.१–ड.३.२ विपदा कार्यों के सभी चरणों में परिवार का एक साथ रहना तथा परिवार का पुनः मिलन
ड.४.१ विपदा कार्यों के अभिमत
ड.५.१ चुनाव के अधिकार

२. महिलाएँ

दिशानिर्देश :

१.१ गैर भेदभाव
१.३ प्रतिभागिता और परामर्शन
१.८ आकलित की गई जरूरतों के आधार पर सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्राथमिकता
अ.१.१ सन्निक्त जोखिमोंवाले व्यक्तियों के जीवन, भौतिक अखंडता और स्वास्थ्य की रक्षा
अ.४.१ आपातकाल में तथा उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में रहने समेत हिंसा के खिलाफ सुरक्षा पर विशेष ध्यान ददेना
अ.४.२ लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सुरक्षा
अ.४.३ अवैध व्यापार, बाल मजदूरी, गुलामी के वर्तमान रूप के खिलाफ सुरक्षा
अ.५.२ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सुरक्षा और संरक्षण
ब.१.१–ब.१.२ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की समुचित व्यवस्था तथा उन तक लोगों की पहुँच होना
ब.१.४ मानवतावादी कार्यों में लिंग आधारित भूमिका निर्धारण करना
ब.२.१ खाद्यान्न वितरण की योजना तैयार करने, डिजायन और अमलीकरण में महिलाओं को शामिल करना
ब.२.२ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सफाई सुविधाओं तक पहुँचने में सुरक्षा
ब.२.३ खास जरूरतों को पूरा करनेवाले पर्याप्त रूप में आश्रय आवास
ब.२.५ महिलाओं की सवास्थ्य से संबंधित जरूरतों के प्रति विशेष ध्यान
ब.२.६ शिक्षा के प्रति समान पहुँच
क.१.५ किसी के अपने नाम पर (पुनः) संपत्ति का दावा करना तथा डीड प्राप्त करना
ब.२.३ आश्रय आवास और गृहनिर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके अमलीकरण में परामर्श और प्रतिभागिता
क.३.१–क.३.२ आजीविका ओऔर कौशल प्रशिक्षण के प्रति पहुँच
ड.१.१ किसी के नाम पर दस्तावेज जारी करने के प्रति पहुँच बनाना
ड.४.१ विपदा कार्य से संबंधित फीडबैक

३. बच्चे और स्वास्थ्य

दिशानिर्देश :

१.१ भेदभाव रहित स्थिति
१.३ प्रतिभागिता और परामर्शन
१.४ बच्चों के सर्वोत्कृष्ट हित में
१.८ आकलित जरूरतों के आधार पर प्राथमिकता पूर्ण रूप में सुरक्षा संबंधी कार्य
अ.१.१ आसन्न जोखिमोंवाले व्यक्ति के जीवन, भौतिक संप्रभुता और स्वास्थ्य की सुरक्षा
अ.२.१ बच्चों को उनके माता-पिता के साथ बचाकर निकालना

अ.२.२	अलग हुए तथा बिना किसी साथवाले अकेले बच्चों की अस्थाई अंतरिम देखभाल
अ.४.१	आपात स्थिति में तथा उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान देना
अ.४.२	लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सुरक्षा
अ.४.३	अवैध देह व्यापार, बाल मज़दूरी, गुलामी की समसामायिक प्रथा के खिलाफ सुरक्षा
अ.४.५	सशक्त तत्वों द्वारा भर्ती करने तथा उपयोग करने के खिलाफ सुरक्षा
अ.५.२	शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सुरक्षा और रक्षा
ब.१.१	मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की समुचित व्यवस्था और पहुँच का होना
ब.२.१	खास जरूरतमंद व्यक्तियों की आहार तक अबाधित पहुँच
ब.२.३	विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए समुचित पर्याप्त आश्रय आवास
ब.२.५	लड़कियों की स्वास्थ्य विषयक जरूरतों की ओर विशेष ध्यान
ब.२.६	पाठशालाओं की व्यवस्था तथा पाठशालाओं में लौटने सहित शिक्षा के प्रति समान पहुँच
क.१.५	अनाथ बच्चों के लिए संपत्ति के (पुनः) दावा करने में सहायता
क.४.१	माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रति पहुँच
ड.१.१	बिना किसी के साथवाले अकेले, अलग हुए या अनाथ बच्चों के उनके अपने नाम से दस्तावेज बनाना
ड.३.२	परिवार का पुनः मिलन
ड.३.३	अलग हुए या बिना किसी के साथवाले अकेले बच्चों के उनके परिवार से पुनः मिलन होने तक देखभाल करने की व्यवस्था
ड.४.१	विपदा कार्यों से संबंधित फीडबैक

४. बुजुर्ग लोग

दिशानिर्देश :

१.१	गैर भेदभाव
१.३	प्रतिभागिता और परामर्शन
१.८.	आकलित की गई जरूरतों के आधार पर सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकता
अ.१.१	आसन्न जोखिमवाले व्यक्तियों के जीवन, भौतिक संप्रभुता और स्वास्थ्य की सुरक्षा
अ.१.३	बचाकर निकाले जाने के कार्य के दौरान विशेष ध्यान
अ.४.१	आपात स्थिति में तथा उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान
अ.५.२	शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सुरक्षा और रक्षा
ब.१.१–ब.१.२	मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की समुचित व्यवस्था और उन तक पहुँच
ब.२.१	खास जरूरतमंद लोगों की आहार तक अबाधित पहुँच
ब.२.२	सफाई सुविधाओ तक पहुँच
ब.२.३	खास जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त रूप में आश्रय आवास
ब.२.५	स्वास्थ्य चिकित्सा तक पहुँच
ड.३.३	परिवार का पुनः मिलन

५. विकलांग लोग

दिशानिर्देश :

१.१	गैर भेदभाव
१.३	प्रतिभागिता और परामर्शन

१.८ आकलित जरूरतों के आधार पर सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकता
अ.१.१ आसन्न जोखिमवाले व्यक्तियों के जीवन, भौतिक संप्रभुता और स्वास्थ्य की सुरक्षा
अ.१.३ बचाव कार्य किए जाने के समय विशेष सुरक्षा
अ.४.१ आपात स्थिति में और उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के संबंध में विशेष ध्यान देना
अ.५.२ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सुरक्षा और रक्षा
ब.१.१-ब.१.२ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था और उन तक पहुँच बनाना
ब.२.१ खास जरुरतमंद लोगों के लिए आहार तक अबाधित पहुँच
ब.२.२ सफाई सुविधाओं तक पहुँच
ब.२.३ खास जरूरतों की पूर्ति हेतु समुचित रूप में पर्याप्त आश्रय आवास
ब.२.५ विशेष स्वास्थ्य देखभाल
ब.२.६ शिक्षा तक पहुँच बनाने में विकलांग बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देना
क.२.३ आश्रय आवास और गृहनिर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाने और अमलीकरण के कार्य में परामर्शन और प्रतिभागिता
क.३.१ आजीविका और कौशल प्रशिक्षण के प्रति पहुँच
ड.४.१ विपदा कार्य से संबंधित फीडबैक

६. एच.आई.वी./एड्सवाले लोग

दिशानिर्देश :

१.१ गैर भेदभाव
१.३ प्रतिभागिता और सलाह मशविरा
१.८ आकलित जरूरतों के आधार पर सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकता
अ.१.१ आसन्न जोखिमोंवाले व्यक्तियों के जीवन, भौतिक संप्रभुता और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना
अ.४.१ आपात स्थिति में तथा उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना
ब.१.१–ब.१.२ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था और उन तक पहुँच बनाना
ब.२.१ खास जरुरतमंद लोगों के लिए आहार तक अबाधित पहुँच
ब.२.५ एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुँच
ब.२.६ एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और शिक्षा तक पहुँच
क.३.१ आजीविका और दक्षता प्रशिक्षण तक पहुँच

७. पारिवारिक सहायता के बिना एकल प्रधान घर तथा बालक प्रधान घर

दिशानिर्देश :

१.१ गैर भेदभाव
१.३ प्रतिभागिता और सलाह मशविरा
१.८ आकलित जरूरतों के आधार पर सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकता
अ.१.१ आसन्न जोखिमोंवाले व्यक्तियों के जीवन, भौतिक संप्रभुता और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना
अ.४.१ आपात स्थिति में तथा उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना

अ.५.२ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सुरक्षा और रक्षा
ब.१.१–ब.१.२ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था और उन तक पहुँच बनाना
ब.१.४ मानवतावादी कार्यों में लिंग आधारित भूमिका निर्धारण करना
ब.२.१ खास जरुरतमंद लोगों के लिए आहार तक अबाधित पहुँच
ब.२.२ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सफाई सुविधाओं तक पहुँचब
ब.२.६ बालक प्रधान घरों हेतु शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना
क.१.३ लैंड डीड और संपत्ति के कागजातों को पुनः बनाने की प्रक्रिया सरल बनाना
क.२.३ आश्रय आवास और गृहनिर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाने और अमलीकरण के कार्य में परामर्शन और प्रतिभागिता
ड.४.१ विपदा कार्य से संबंधित फीडबैक

८. भेदभाव के शिकार गैर यहूदी लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग और समूह तथा देशी लोग

दिशानिर्देश :

१.१ गैर भेदभाव
१.३ प्रतिभागिता और सलाह मशविरा
१.८ आकलित जरूरतों के आधार पर सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकता
१.९ सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए सुरक्षा कार्य करना
अ.१.१ आसन्न जोखिमोंवाले व्यक्तियों के जीवन, भौतिक संप्रभुता और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना
अ.४.१ आपात स्थिति में तथा उसके बाद शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में हिंसा के खिलाफ सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना
अ.५.२ शिविरों और सामूहिक केन्द्रों में सुरक्षा और रक्षा
अ.६.४ गैर यहूदी और धार्मिक रूप से संवेदनशील ढंग से पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया
ब.१.१–ब.१.२ मानवतावादी वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था और उन तक पहुँच बनाना
ब.२.३ पर्याप्त रूप में सांस्कृतिक रूप में स्वीकार्य आश्रय आवास
ब.२.६ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षा तक समान रूप से पहुँच
क.१.२ पीछे छोड़ी गई संपत्ति की सुरक्षा
क.१.६ लैंड टाइटल एवं मालिकाना हक के परंपरागत दावों का सम्मान करना
क.२.३ आश्रय आवास और गृहनिर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाने और उसके कार्यक्रमों की योजना बनाने और उसके अमलीकरण कार्य में परामर्शन और प्रतिभागिता
क.३.१ यह सुनिश्चित करना कि शैक्षणिक कार्यक्रमों से ऐसे समूह आर्थिक रूप से हाँशिए पर न धकेल दिए जाएँ
क.४.१ विपदा कार्य संबंधी फीडबैक
ड.४.१–ड.४.३ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मानवतावादी सहायता और धार्मिक आस्था विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं को करने का अधिकार

परिशिष्ट-३ :
आचारसंहिता, दिशानिर्देश और नियमावली के संदर्भ

- ग्लोबल हैल्थ क्लस्टर गाइड (प्रोबीजनल वर्जन) २००९
- ग्लोबल प्रोटेक्शन क्लस्टर वर्किंग ग्रुप, हैंडबुक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नली डिस्प्लेस्ड, मार्च, २०१०
- गाइडिंग प्रिंसीपल्स ऑन इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट, १९९८
- हैंडीकैप इंटरनेशनल, असेसीबिलिटी फॉर ऑल इन एन इमरजेंसी कॉटेक्स्ट : ए गाइड लाइन टू इंश्योर असेसीबिलिटी फॉर टेम्परेरी इन्फ्रास्ट्रक्टर, डबल्यूएएसएच फ्रैसिलिटी, विकलांग तथा अन्य असुरक्षित स्थितिवाले लोगों की सूचना और वितरण के लिए, २००९
- आई.ए.एस.सी., विभिन्न जरूरतमंद महिलाएँ, लड़कियाँ, लड़के और पुरुष - समान अवसर, मानवतावादी कार्यों में लिंग हैंडबुक, २००६
- वही, २००९
- आई.ए.एस.सी., गाइडलाइंस फॉर एड्रेसिंग एच.आई.वी. इन इमर्जेन्सी, २००९
- आई.ए.एस.सी. गाइडलाइंस फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस इंटरवेंशन इन ह्यूमनिटेरियन सैटिंग, २००५
- आई.ए.एस.सी. गाइडलाइंस ऑन मेंटल हैल्थ एन्ड साइकोलोजीकल सपोर्ट इन इमर्जेन्सी सेटिंग्स, २००७
- आई.ए.एस.सी. ह्यूमनिटेरियन एक्शन एन्ड ओल्डर पर्सन्स : इन एसेंशियल ब्रीफ फॉर ह्यूमनिटेरियन एक्टर्स, २००८
- आई.ए.एस.सी. पॉलिसी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, २०००
- आई.ए.एस.सी., पॉलिसी पैकेज़ ऑफ इंटर्नल डिस्प्लेस्ड इम्प्लीमेंटिंग द कोलोबोरेटिंग रेस्पोंस टू सिच्युएशन ऑफ इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट गाइडेंस फॉर यूएन ह्यूमनिटेरियन एन्ड/ऑर रेसीडेंट कोर्डीनेटर्स एन्ड कन्ट्री टर्म्स, २००४
- आई.सी.आर.सी./आई.आर.सी./एस.सी.यू.के./यूनिसैफ/डबल्यूवीआई, इंटर एजेंसी गाइडिंग प्रिंसीपल्स ऑन अनसस्पेन्ड एन्ड सेपरेटेड चिल्ड्रन, २००४
- आई.सी.आर.सी., मैनेजमेंट ऑफ डैड बॉडीज आफ्टर डिज़ास्टर्स, ए फील्ड मेन्युअल फॉर फर्स्ट रेस्पोंस, २००९
- आई.एफ.आर.सी., कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरनेशनल रैड क्रॉस एन्ड रैड क्रेसेंट मूवमेन्ट एन्ड एनजीओ इन डिज़ास्टर रिलीफ, १९९२
- आई.एन.ई.ई., मिनीमम स्टान्डर्ड फॉर एन्डरकेशन इन इमर्जेन्सी, २००४
- इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप (आई.ए.डबल्यू.जी.) इंटर एजेंसी फील्ड मैन्युअल ऑन रिप्रोडक्टिव हैल्थ इन ह्यूमनटेरियन सेंटिंग, २०१०
- इंटर एजेंसी गाइडिंग प्रिंसीपल्स ऑन अनएकम्पनीड एन्ड सेपरेटेड चिल्ड्रन, २००४
- पी.ए.एच.ओ./डबल्यू.एच.ओ./आई.सी.डी.सी./आई.एफ.आर.सी., मैनेजमेन्ट ऑफ डैड बोडीज आफ्टर डिज़ास्टर्स, ए फील्ड मैन्युअल फॉर फर्स्ट रेस्पोंन्डर्स, २००६
- पेरिस प्रिसीपल्स : प्रिंसीपल्स रिलेटिंग टू द स्टेटस एन्ड फंक्शनिंग ऑफ नेशनल इन्स्टिट्यूशन्स फॉर प्रोटेक्शन एन्ड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, १९९३
- पेरिस प्रिसीपल्स : प्रिंसीपल्स एन्ड गाइडलाइंस ऑन चिल्ड्रन एसोसिएटेड विथ आर्मड फोर्सेस एन्ड आर्मड ग्रुप्स, २००७
- स्फियर प्रोजेक्ट - ह्यूमनटेरियन चार्टर एन्ड मिनिमम स्टेंडर्ड्स इन डिज़ास्टर्स रेस्पोंस, जिनीवा, २०११

- यू.एन. एक्शन, रिपोर्टिंग एन्ड इंटरप्रेटिंग डाटा ऑन सैक्सुअल वायोलेंस फ्राम कंफ्लिक्ट - अफैक्टेड कंट्रीज : क्या करें और क्या न करें, २००८
- यू.एन.एच.सी.आर. गाइडलाइंस ऑन सैक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेइन्स्ट रिफ्यूजीज, रिटर्नीज एन्ड इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स; गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एन्ड रेस्पोन्स, २००३
- यू.एन.एच.सी.आर. पॉलिसी ऑन ओल्डर रिफ्यूजीज, २०००
- यूनाइटेड नेशन्स, सेंट्रल इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फंड, (सी.ई.आर.एफ.) लाइफ सेविंग क्राइटेरिया, २०१०
- यूनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन्स ऑन द राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, जी.ए. रिजोल्यूसन्स, ३४४ (xxx), ९ दिसंबर, १९९५
- यूनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन्स ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स जी.ए. रिजोल्यूशन्स, ६१/२९५ १३ सितंबर, २००९
- यूनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन्स ऑन द राइट ऑफ मैंटली रिटार्डेड पर्सन्स, जी.ए. रिजोल्यूशन्स, २९५६ (xxVI), २० दिसंबर, १८७१
- यूनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन्स ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विलोंगिंग टू नेशनल और एथिक, रिलीजियस एन्ड लिंग्विस्टिक्स माइनौरिटीज, जी.ए., रिजोल्यूशन्स, ४७/१३५ १८ दिसंबर, १९९२
- यूनाइटेड नेशन्स प्रिंसीपल्स फॉर ओल्डर पर्सन्स जी.ए. रिजोल्यूशन्स ४६/९१, १६ डिसंबर, १९९१
- यूनाइटेड नेशन्स प्रिंसीपल्स फॉर हाउसिंग एन्ड प्रोपर्टी रेस्टिट्यूशन फॉर रिफ्यूजीज एन्ड डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, २००५
- डबल्यू.एच.ओ., विपदा, विकलांगता और पुनर्वास, २००५
- डबल्यू.एच.ओ. गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेन्ट ऑफ सैक्सुअली ट्रान्समिटेड फैक्शंस, २००३
- डबल्यू.एच.ओ., मैनेजमेन्ट ऑफ डैड बोडीज इन डिज़ास्टर्स सिच्युएशन, २००४
- डबल्यू.एच.ओ., रिप्रोडक्टिव हैल्थ ड्यूरिंग कंफ्लिक्ट एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट : ए गाइड फॉर प्रोग्राम मैनेजर्स, २०००
- डबल्यू.एच.ओ./जी.डबल्यू.एच., जेंडर कंसीडरेशन्स इन डिज़ास्टर्स असैसमेन्ट, २००५
- डबल्यू.एच.ओ./यू.एन.एच.सी.आर. क्लीनिकल मैनेजमेन्ट ऑफ रेफ सर्वाइवर्स : डिवलपिंग प्रोटोकॉल फॉर यूज विद रिफ्यूजी, एन्ड इंटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, संशोधित संस्करण, २००४
- डबल्यू.एच.ओ./यू.एन.एच.सी.आर./यू.एन.एफ.सी.ए., क्लीनिकल मैनेजमेन्ट ऑफ रेफ. ई. लर्निंग प्रोग्राम, २०१०
- वर्ल्ड रेफरेंस ऑन डिज़ास्टर रिडक्शन, ह्योगो फ्रैमवर्क फॉर एक्शन, २००५-२०१५ विल्डिंग द रिसिलैस ऑफ ऐशंस एन्ड कम्युनिटीज टू डिज़ास्टर्स, २००५
- वर्ल्ड कंफरेन्स ऑन ह्यूमन राइट्स, वियेना डिक्लेरेशन्स एन्ड प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, १९९३

द ब्रुकिंग्स – बर्न प्रोजेक्ट
ऑन इंटर्नल डिस्प्लेसमेन्ट

१७७५ मैआसैट्स अवैन्यू, एन डबल्यू
वाशिंग्टन, डीसी २००३६, यू.एस.ए.
फोन : ००१-२०२-७९७ २४७
फैक्स : ००१-२०२-७९७ २४७
E-mail: idp@brookings.edu
Website: www.brookings.edu/idp

ऑल इन्डिया डिज़ास्टर मिटिगेशन इन्स्टिट्यूट

४११, साकार-पाँच, नटराज सिनेमा के पास,
आश्रम मार्ग, अहमदाबाद - ३८० ००९, इन्डिया
फोन/फेक्स : ००९१-७९-२६५८ २९६२
E-mail: bestteam@aidmi.org
Website: www.aidmi.org,
www.southasiadisasters.net